

not yet been allotted, and which are listed. Those which have already been approved and listed, automatically form part of the agenda. It is for the House to take up either one first but it is part of the agenda which is before the House. It has not been removed.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): मैडम, मेरा एक निवेदन है। मैडम, इस संबंध में नहीं है। मैडम मैं स्वयं जा रही हूँ। सुबह शून्यकाल में हमें अनुमति दी गई थी। रोहतक में जो समांतक दुर्घटना हुई है। ... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): इस वक्त इस मामले को हम लोग नहीं ले रहे हैं।... इस वक्त मैं इस मामले को नहीं ले रही हूँ।... (व्यवधान)...

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (गुजरात): मैडम, केवल एक सजेशन लेना है कि पांच बजे के बाद जो बिजनेस जीरो आर वर का और स्पेशल मेशन का रह गया था, वह आप पांच बजे के बाद लेंगी?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): अगर सदन चाहे तो पांच बजे के बाद बैठ सकते हैं। सदन की मंशा क्या है?

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मैडम, मैं निजी सदस्यों के अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर हमारा सदन सहमत हो... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): मैं सदन से ही पूछ रही हूँ। आप कृपा करके अपना स्थान गृहण करें। Please sit down. ... (Interruptions)... What is the sense of the House? Do you want to sit after five? ... (interruptions)... You don't want to sit after 5 o'clock.

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Twenty-three people died in the incident ... (interruptions)...

श्री रामजी लाल (हरियाणा): मैंने दिया था, उन्होंने कहा कि मछे को देना।

SHRI JIBON ROY: Six children died. Can't we raise this matter.... (interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): I know the seriousness of the issue. But this is not the time. (interruptions)...

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: सुबह नहीं लिया जा सका, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप 5 बजे तक रोज करने की अनुमति दें तो...

SHRI JIBON ROY: You give us 15 minutes after 5 o'clock. ... (Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): 5 बजे बाद अगर सदन बैठना चाहे तो बैठ सकता है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: अभी अगर बात देंगी तो हम इंतजार कर सकते हैं।

SHRI JAGESH DESAI: Madam, I want to make one submission. Now it is 2.40 P.M. Private Members' time is 2 hours 30 minutes. That should not be curtailed. Now the time should go up to 5.10 P.M. Then we will take up other business.

RESOLUTION DEMANDING AMENDMENT OF CONSTITUTION FOR ESTABLISHMENT OF LOKPAL/LOKAYUKTA TO PREVENT CORRUPTION IN PUBLIC LIFE — Contd

THE VICE-CHAIRMAN (SMT. KAMLA SINHA): Now we shall take up for further discussion on the Resolution on Lokpal moved by Shri Mohd. Masud Khan. Shri Janeshwar Misra was speaking late time.

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): मैडम, मसूदा साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ और इस अफसेस के साथ खड़ा हूँ कि पिछले बीस सालों से इस पर प्रस्ताव आए, बहस हुई और जो लोग देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री की हैसियत से, वे सब के सब लोग इस सदन को और बगल वाले सदन को, संसद को यह आश्वासन देते रहे हैं कि इस तरह का कानून लाया जाएगा। कुछ कहीं न कहीं जाकर इस लिए फंस जाता है कि इस कानून के परिधि में प्रधानमंत्री को लाया जाए या न लाया जाए। हम एजनीति करने वाले लोग यह मानकर चलते हैं कि हम

लोग देश के सारे कानूनों से ऊपर हैं। हिन्दुस्तान में देवताओं के नियम सब पर लागू होते हैं लेकिन इसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। आम आदमी देवताओं द्वारा बनाए हुए नियम का पालन करता है। अगर गलती होती है तो हाथ जोड़कर माफी मांग लेता है या सजा भुगतने के लिए तैयार होता है। ये देवता खुद-व-खुद नियम तोड़ कर रहे हैं। हम राजनीति करने वाले लोग अपने को देवताओं की श्रेणी में रखकर यह मानकर चल रहे हैं कि हमसे जो गलती होगी उसके लिए कोई सजा नहीं होगी। महोदया, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह गांधी जी का देश है। गांधी जी के देश में जहां आजादी की लड़ाई के दौरान राजनीति एक तपस्या की चीज थी, त्याग की चीज थी, आजादी के मिलते ही राजनीति एक भोग की चीज बन गयी। भ्रष्टाचार केवल रुपये पैसे लेने-देने पर ही नहीं हुआ करता है, भ्रष्टाचार परिवार के नाम पर भी होता है। अगर मान लीजिए कोई हमारे देश का मंत्री है, कल को वह बीमार पड़ने लगे और वह अपने बेटे को भी मंत्री बना दें और फिर उसका बेटा भी मंत्री बनने लगे तो हिन्दुस्तान की 90 करोड़ जनता में यह संदेश जाएगा कि जनतंत्र के लिबास में राजतंत्र और परिवारवाद आ रहा है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोकपाल बिल, जो बिल मसूदा साहब ने पेश किया है, यह मोहरजी के जमाने से और इंदिरा जी के जमाने से चलता रहा है और संसद में हमें आश्वासन मिलता रहा है कि यह कानून लाया जाएगा। भ्रष्टाचार जो देखने में आता है, प्रायः वही माना जाता है लेकिन हमारे चरित्र में ईमानदारी होनी चाहिए। जनतंत्र एक तपस्या की चीज है और हमारे चरित्र में है कि आम आदमी जो उनका लोकप्रिय नेता हुआ करता है, उसकी नकल करता है। मुझे याद है कि पंडित नेहरू ने आजादी की लड़ाई के दौरान अपने कुर्ते के ऊपर अथकटी जैकेट पहन ली, तो हिन्दुस्तान के लोगों ने उनकी नकल में वैसी जैकेट पहनना शुरू कर दिया। जयप्रकाश नारायण जी, 1942 के हीरो थे। उन्होंने अपने कुर्ते पर कलर लगा दिया तो हिन्दुस्तान के अधिकतर लोगों ने खड़ी वाली कलर पहनना शुरू कर दिया। जैसा देश का नेता किया करता है आम आदमी उसका हीरो मानकर उसकी नकल करता है। जिस तरह से वह पहना करता है, जिस तरह से जिंदगी जीता है आम आदमी उसमें उसकी नकल करता है। हमको याद है कि एक बार नेहरू साहब के जमाने में बुलगाइन आए थे और बुलगाइन तुड़ड़ी रखे हुए थे। उसकी नकल कर के हिन्दुस्तान के बहुत से लड़कों ने तुड़ड़ी रखवा ली, दाढ़ी रखवा ली, इन्द्र कुमार

गुजरल आज तक रखवाए हुए हैं। वह आदमी नकल करता है। जब कोई राजनेता देश का या विदेश का आता है तो उसका पहनावा, उसका कपड़ा, उसका खन-सहन, उसका चाल-चलन, उसका रवैया, सब की नकल करते हैं... (व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार): गुजरल साहब तो यहां हैं नहीं इसका जवाब कौन देगा?

श्री जलेश्वर मिश्र: गांधी जी खाते बहुत कम थे, गांधी पहनते बहुत कम थे क्योंकि दिमाग तभी चला करता है। आम आदमी, दरिद्र से दरिद्र आदमी जो जिन्दगी जीया करता है, उस तरह की जिन्दगी सर्वोच्च राजनेता को जीनी चाहिए। यह परंपरा गांधी जी ने कायम की थी लेकिन धीरे धीरे राजनीति अय्याशी का विषय बनने लगी, भोग का विषय बनने लगी। आज हिन्दुस्तान में राजनीति के बड़े से बड़े दावेदार लोग जो बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, इनका एक दिन का खर्च जोड़ जाए हिफाजत के नाम पर, शानोशौकत के नाम पर, ठाठ-बाट के नाम पर, सभी चीजों पर चर्चा हो रही थी। हमारे मित्रों ने कहा कि बड़े नेताओं के लिए उनकी सिक्युरिटी पर कोई सुलहनामा नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि कितना खर्च होता है? एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी विश्वविद्यालय में कन्वोकेशन कराई थी। उसमें मुख्य अतिथि गांधी जी थे। गांधी जी जब वहां गये तो वायसराय साहब जो यूनीवर्सिटी के चांसलर होते थे वह भी आए थे। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस बहुत लगाई गई थी। गांधी जी ने पूछा की महामना इतनी पुलिस क्यों बुलाई है। मालवीय जी ने कहा कि वायसराय साहब की सुरक्षा के लिए है। तो गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था। बड़ा गरीब देश है, यहां आधे से ज्यादा लोग एक वक्त खाना खाते हैं, दोनों वक्त खाना उनके नहीं मिलता है। इस देश के मालिक यहां आए, अगर आपकी हिफाजत के लिए इस देश के खजाने का इतना पैसा खर्च होता है तो बेहतर है कि आप मर जाएं। यह गांधी जी का वाक्य था। मैं नहीं चाहता हूं कि उतनी कड़ी भाषा का इस्तेमाल करूं लेकिन हम राजनीतिकर्मी अपनी हिफाजत के लिए, अपने भोग के लिए, जिस जिन्दगी के रास्ते जा रहे हैं वह भ्रष्टाचार की तरफ जाता है या नहीं? भ्रष्टाचार की तरफ जाता है तो हमारा बेटा ललक कर आता है कि हमारा बाप मिनिस्टर रहा है, प्राइम मिनिस्टर रहा है हम भी बन सकते हैं, इसी तरह कि जिन्दगी हमको जीनी चाहिये। फिर उसके दूसरे बच्चे वाले आने लगते हैं, इस तरह से

एक लाइन खिंच जाती है। तब प्रष्टाचार की गंगोत्री धीरे धीरे गंदा पानी ले कर नीचे की तरफ आती है। अन्त में अफसरों के साथ कानून पड़ता है कि कानून ही हिन्दुस्तान में होगा तो भ्रष्ट हो सकता है लेकिन कानून सम्पूर्ण रूप से प्रष्टाचार के बंगल में फँस चुका है। अभी यहाँ पंचायती राज का चुनाव हुआ था। पंचायती राज के चुनाव में बड़े झगड़े हुए गांव गांव में। चतुर्धन मिश्र जी उस दिन कह रहे थे कि इनके किसी उम्मीदवार को दूसरी पार्टी के लोग उठा कर ले गये, भाग गये। बड़ी धंधली हो रही है। महोदया, आप जानती हैं कि वह क्यों धंधली हो रही है। जवाहर ऐजेंस्य योजना में जो पैसा जाता है एक लाख, दो लाख, तीन लाख रुपया जाता है। पहले गांव के प्रधान होते थे, चुनाव होते थे। कोई गांव का मुअज्जिद आदमी चुनाव लड़ता था, खिलाफत कोई नहीं करता था, विरोध कोई नहीं होता था। वह जब से रुपया जाने लगा है, अब प्रधान लोगों को खर्च करने का मौका मिल गया है। सड़क तो नहीं बनती है, पूरा रुपया प्रधान जी की कोटी बनने में या मोटर-साइकल में खर्च हो जाता है। उस दिन माननीय चतुर्धन मिश्र जी कह रहे थे हम पार्लियामेंट के सदस्यों के बारे में कि हम कुकिंग गैस बेच करते हैं, टेलीफोन कनेक्शन बेच करते हैं। हम सब लोगों पर चुने हुए नेताओं पर अंगुली उठाई जाती है। कोई एक करोड़ रुपया बक्से में रख कर कहता है कि हमने दिया है। हमारे ऊपर अंगुली डटे, जन प्रतिनिधि पर अंगुली डटे तो लगता है कि प्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक राग में घुस गया है। इस पर फकन्टी लगाना जरूरी है। हम ही भ्रष्ट नहीं हैं, जनता के चुने हुए लोग ही भ्रष्ट नहीं हैं, प्रधान से ले कर प्रधानमंत्री तक, मैं वह नहीं कहता। उसके बाद वह जो अफसर शाही हुआ करती है, वह भी अपने तर्कों से प्रष्टाचार के रास्ते चलाती है। क्योंकि वह तो जानती है कि जो कोई दिल्ली की कुर्सी पर, लखनऊ की कुर्सी पर, पटना की कुर्सी पर बैठेगा, वह पांच साल बैठेगा। अगर हमारे प्रष्टाचार के रास्ते पर चलेगा तो उनके कमाने के लिए ज्यादा मौका मिलेगा। सब से ज्यादा प्रष्टाचार का तार, एक तार से दूसरी तार तक जोड़ने का काम हिन्दुस्तान की अफसरशाही कर रही है जो लोगों की पूंजी लगाया करते हैं धंधे में वे देखते हैं हिन्दुस्तान के चलाने वाले लोग चाहे जनता के प्रतिनिधि हों चाहे जनता के अफसर हों वे सब के सब गलत रास्ते पर जिंदगी की कमाई कर रहे हैं तो वे सोचते हैं कि हम अगर 4 रुपए लगाते हैं किसी कारखाने में तो हमको 400 रुपए उस कारखाने से मिलने चाहिए। तो हिन्दुस्तान

की पूंजीशाही, हिन्दुस्तान की नौकरशाही, हिन्दुस्तान की नेताशाही इन तीनों का तिगड्डा बन गया है मैकम जिन्होंने आज सम्पूर्ण राष्ट्र के जीवन को प्रष्टाचारी बना दिया है। दुनिया में यह बहस चल रही है कि हिन्दुस्तान के आम आदमी की जिंदगी ज्यादा भ्रष्ट है या रोम के आम आदमी की जिंदगी ज्यादा भ्रष्ट है। दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रष्ट दोनों देशों में से कौन माना जाएगा। तब स्थिति की गम्भीरता यह भांग करती है कि मसूद साहब ने जो बिल पेश किया है इस बिल पर गम्भीरता से सोच जाए।

यह गांधी का देश है। आजादी मिलने के बाद से गांधी के स्वर्ण की धार, भोग की धार में बदल गयी है। वह भोग की धार अभी तक हम लोगों के हाथों से संपन्न नहीं पा रही है। हम लोग देश के मालिक कहलाते हैं। हम लोग कुर्ता पहनकर, धोती पहनकर, टोपी पहनकर सड़क पर निकलते हैं, चांदनी चौक से निकलते हैं और हमको कोई पहचानता नहीं तो वह कोल दिया करते हैं कि वह जरूर कोई राजनेता है, 420 है, पूर्ण किस्म का अफदमी है। किसी जमाने में हम लोग टोपी पहनकर, कुर्ता पहनकर सड़क पर निकलते थे तो लोग कहते थे कि वह आजादी की लड़ाई का दीवाना आ रहा है। वे फिर झुक दिया करते थे। क्या कजह है कि आज बड़ी लिबास 420 लोगों का लिबास बन गया है। क्या इस पर इस संसद को सोचना या गम्भीर नहीं होना चाहिए।

सन् 1966 में लाल बहादुर शास्त्री साहब ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर एक आयोग गठित किया था। उस आयोग ने लोकपाल और लोकयुक्त का प्रावधान किया था अपनी सिफारिश में। तब से कांग्रेस पार्टी की कितनी सरकारें चली आयीं और चली गयीं तब से विरोधियों की कितनी सरकारें आयीं और चली गयीं, हम लोग इस पर गम्भीर नहीं हुए। धीरे धीरे अन्त पानी नक के ऊपर हो चुका है। हम खतरनाक हालात में आ चुके हैं। अगर इसके रोकने के लिए प्रयास नहीं किया गया तो वह राष्ट्र राष्ट्र नहीं रह जाएगा। बहुत से पूर्व, उसके किस्म के लोग, गंदे किस्म के लोग हम लोग सब के सब बन जाएंगे। वह प्रष्टाचार कतल कौन है? कहां है? इस पर कभी बहस होगी। बहस हुआ करती है कि आजकल कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। बस अड्डे पर जिसकी चाहो जेब काट लो, रेल में कोई सुरक्षित नहीं चल सकता है। पुलिस काम नहीं कर रही है। लेकिन केवल जेब काटने वाला ही शायरी है, कानून तोड़ता है।

अटैची उठाने वाला ही बनून तोड़ता है। वह इंजीनियर जो एक करोड़ का ठेका लेता है और 70 लाख रुपए का सम्पन्न जागता है वह चोर नहीं है। समाज में वह निकलता है तो उसकी इज्जत हुआ करती है। लोग उम्मेद देखकर सिर झुकाते हैं। अफसस हरकार करते हैं। गांव में उसकी इज्जत होती है। वह खर्चा करता है। आपके पटन में एक मंदिर बना है रेलवे स्टेशन पर। एक बहुत बड़े पुलिस अफसर ने बनवाया है। हमने पूछा इसका क्या कर्षी से तब। कहा कि इतने बड़े पुलिस के अफसर के मस्जिद से ऊंचा इसका कंगूर बनाना का इसलिए उसने बहुत पैसा खर्च किया। तो हम लोग जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं चाहे वे बिड़ला साहब कमाते हों चाहे अफसर साहब कमाते हों चाहे नेता साहब कमाते हों वे थोड़ा धर्मदा में भी रुपया खर्च कर दिख करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक डाकू हुआ था मन्सिंह। वह डकैती तो करता था लेकिन किसी गरीब आदमी की बेटी की शादी में थोड़ा रुपया भी दे दिख करता था। लोग उसकी बाहबाही भी करते थे, तारीफ भी करते थे कि बड़ा दानी है। तो ऐसा मत समझिएगा कि प्रह्लादकर अपना तिकड़म नहीं जकड़ता। जनता में समर्पन लेने के लिए कुछ न कुछ वह छेपत बांटता रहता है। हिंदुस्तान का प्रह्लादारी खारपी, दानी चरित्र का हो गया है। दुनिया में ऐसा प्रह्लादकर हमने कहीं नहीं देखा कि प्रह्लादकर का चरित्र ही बदल जाए। वह प्रह्लादारी ही नहीं हो वह साधु भी है, दान भी करता है। दूसरों की तकलीफ में मदद भी करता है। वह नेताशाही से लेकर, बीरशाही, नैकरशाही तक सबके चरित्र की बाही है। तब भी अगर हम सरकार चलाने वाले लोग, एजनीति करने वाले लोग इस पर गंभीर न हो और मसूद साहब को मजबूर होकर कांग्रेस पार्टी के नेता लोग कहें कि वह प्रह्लादकर आपस तो इस पर विधेयक अलग से लाया जाएगा, गंभीरता से सोचकर लाया जाएगा, तो चलेगा नहीं। किस पर ठंगली नहीं उठी? हिंदुस्तान के एहूपति पर बचान दे दिया गया, हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री लोगों पर ठंगली उठी रही, हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के जज लोगों पर ठंगली उठी रही है, पार्लियामेंट के मੈम्बर्स पर ठंगली उठी रही है, ग्राम प्रधान पर ठंगली उठी रही है, विधायिकाओं पर ठंगली उठी रही है, कार्यपालिका पर ठंगली उठी रही है। एक तरह से बिल्कुल एक अजीब तरह के माहौल में, गिजगिजा किसम के माहौल में हम जिन्दगी जी रहे हैं। इस एहू की जिन्दगी की सोसे कई बार घुटन महसूस किया करती है। तब मैडम, हमको कहीं न कहीं फार्मूला बनाना पड़ेगा।

फार्मूला बनाना पड़ेगा अपने चरित्र के जरिए, चरित्र मिसाल दिया करता है। मैंने पहले कुर्ते, कालर, दाढ़ी वगैरह की मिसाल दी थी। नकल लोग किया करते हैं आदमी के रहन-सहन का, उसकी सदागी का, उसके त्याग का, अगर ठंगली उठ जाए बड़ी बागाओं पर बैठे हुए लोगों पर जकरी नहीं कि वे दोषी हों, लेकिन उनमें से एक-दो लोगों को सड़क पर निकल कर अपना पड़ेगा वह सब कर कि हम पर थुंकि ठंगली उठ गई सर्वजनिक जीवन में अगर हमारे चरित्र पर आरोप लग गया हो हम सर्वजनिक जीवन से हट रहे हैं और जो कोई सच हो हमारे पद की कजह से उस सच में कहीं कमी आ रही हो तो वह कमी न आए, हमको सच दे दी जाए। वह एस्ता अगर नहीं खोलत गया तो हम लोग देश को बचा नहीं पायेंगे। हम वह नहीं कहते कि हम एजनीति करने वाले कोई संत हैं, फकीर हैं, कोई स्थगि हैं, हम सब लोगों की इच्छा होती है कुर्सी पर बैठने की, एजनीति के मकाने ही कुर्सी हैं। केवल विरोध में रह करके हल्ला मचान एजनीति का मकाने नहीं हुआ करता, लेकिन सन् 1947 के पहले एजनीति करने वाला आदमी अगर वह 70 सैकड़ा कुछ करने का मन करता था तो 30 सैकड़ा उसका मन कुछ बनने का भी हुआ करता था। आज एजनीति करने वाला जो कोई भी है 90 सैकड़ा उसका मन कुछ बनने का है और 10 सैकड़ा शायद कुछ करने का है। दूसरों के लिए करने के लिए 10 सैकड़ा मन होगा और 90 सैकड़ा हमारे मन का हिस्सा कुछ न कुछ बनने का होगा। तब एजनीति तिकड़म की एजनीति हो जाएगी, फरेब की एजनीति हो जाएगी और 60, 70 या 50 सैकड़ा भी दूसरों के लिए कुछ करने का मन होगा और 50 सैकड़ा बनने का मन होगा तब भी एजनीति सिद्धांत की एजनीति बनेगी, उसूल की एजनीति बनेगी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान की संपूर्ण एजनीति आज तिकड़म की एजनीति हो गई है, फरेब की एजनीति हो गई है, क्योंकि हमारी इच्छारक्षित बनने की हो गई है, कुछ न कुछ पद पाने की हो गई है और सारी पार्टियाँ, आपकी पार्टी सरकारी पार्टी तो आजकल गलब की हलत में है। मैडम, वे टूट रहे हैं और टूटने के बाद दोनों टुकड़े करके 10 जनपथ आ रहे हैं शिकायत करने के लिए। जैसे दो बच्चे आपस में लड़ते हैं। बड़ा वाला लड़का छोटे को मार देता है। छोटा वाला लड़का बड़े वाले को गाली बक देता है तो दोनों अपनी माँ के यहां कहने जाते हैं। बड़ा वाला कहता है, देखो छोटा वाला गाली बक रहा है। छोटा वाला कहता है, देखो, बड़ा भाई मार रहा है। यह बिल्कुल बचकाने

किस्म का झगड़ा है। बनने की इच्छा 90 सैकड़ा और करने की इच्छा 10 सैकड़ा। दस जनपथ में जा करके शिक्कयत और वह मम्मी, काबिल किस्म की मम्मी, कहते हैं आपस में झगड़ा मत किया करो, मिल करके रहा करो। लेकिन वह असली मम्मी तो है नहीं है।

....(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC
GRIEVANCES AND PENSION
(SHRIMATI MARGARET ALVA):
Madam, why should '10, Janpath' come
in the discussion on the Lok Pal Bill?

श्री जनेश्वर मिश्र: परिवारवाद की वजह से
....(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: When
we are discussing the Lok Pal Bill, why
should he drag in some people who are
not in this Parliament House? Mr. Mishra
is a very senior leader. He is a former
Minister. He knows the decorum of the
House and he cannot raise such issues.

THE VICE-CHAIRMAN
(SHRIMATI KAMLA SINHA): He did
not name anybody.

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V.
THANGKA BALU): Madam, that
should not go on record. Let him discuss
issues relevant to the subject.

SHRI V. NARAYANASAMY:
Madam, sarcastic remarks should not be
made.

(Interruptions)

श्री जनेश्वर मिश्र: मैडम, यह सही है और यह भी
सही है कि यह जो विधेयक है यह कहीं कुछ चोट तो
आदमी के मन पर करता है। उस की प्रवृत्ति को करता
3.00 PM

है। महोदय, हम जो जिंदगी इस समय राजनीति में जी
रहे हैं, वह एक प्रवृत्ति बन गयी है। अगर हम उस
प्रवृत्ति को कहीं-न-कहीं ठगली से कुदेने की कोशिश
करेंगे तो हम को भी चोट लगेगी, हमारी सरकारी पार्टियों
के मन को भी चोट लगेगी और विपक्ष के जो साथी हैं,
उन को भी चोट लगेगी, लेकिन मैं उस भाव से यह बात

नहीं कर रहा हूँ मेरे मन में वह भाव नहीं है। यह तो मैंने
एक घटना का जिक्र किया है और वह इसलिए किया है
कि हम राजनीतिकर्मियों की इच्छा अपने को बनाने की
ज्यादा होती जा रही है, राष्ट्र के लिए कम होती जा रही
है। हम लोग कई बार अपनी सुविधा के लिए प्रयास
करते हैं, अपनी सैलरी और दूसरी सुविधाओं के बारे में
प्रयास करते हैं तो ऐसा नहीं है कि देश के दूसरे लोग
उसे नहीं देखते हैं। लोग कई बार कहते हैं कि हम
लोगों ने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली, अपनी पेंशन बढ़ा
ली। कहते हैं कि आप भी उस समय पार्लियामेंट में थे
और आप ने यह सर्वसम्पत्ति से कर लिया था और आप
ने विरोध नहीं किया। हम कर्मचारी तो अपनी सैलरी के
लिए सड़क पर लड़ते हैं तो हम लोगों को जेल भेज
दिया जाता है। तो लोग हमारी हरकतों को देखते रहते हैं
कि हम क्या कर रहे हैं और उस पर फैसला करते हैं।
उन की दृष्टि हम पर जमी रहती है। इसलिए माननीय
सदस्य ने जो यह जिल पेश किया है, इस को हमें पास
करना चाहिए। फिर इस में देश की बड़ी-से-बड़ी ताकत
आनी चाहिए, मैं यह जानबूझकर कह रहा हूँ,
बड़ी-से-बड़ी ताकत जिस में प्रधान मंत्री ही नहीं हो
सकते, हो सकता है उस में सर्वोच्च न्यायालय का जज
भी आ जाये, लेकिन जब कभी भी जज के खिलाफ
कोई कार्यवाही होने लगे तो पार्लियामेंट को विश्वास में
लेकर और जब प्रधान मंत्री के खिलाफ कोई कार्यवाही
होने लगे तो संपूर्ण जूडिसियरी की फुल बेंच को विश्वास
में लेकर कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन यह विधेयक
किसी बड़े रूप में आना निहायत जरूरी हो गया है।

महोदय, हम ने जो तस्वीर खींची है, वह हमें अच्छी
नहीं लगती क्योंकि हमारे जैसे आत्म-स्मानि में रहने वाला
आदमी अपनी तस्वीर को बिगाड़कर रखने का आदी नहीं
होता। अभी यहाँ हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चतुर्पन्न
मिश्र जी ने जब पार्लियामेंट के मेंबर्स की चर्चा की थी
तो हम नहीं जानते थे कि हम लोगों के चेहरे पर
कालिख लग रही है। महोदय, अभी हमारे घर मद्रास
का रहने वाला एक आदमी आया था...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आप एक
ही बात को दोहराए मत।

श्री जनेश्वर मिश्र: मैडम, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि मुझे पीड़ा होती है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आप ने
इस बात की चर्चा की है। आप ने पहले भी कभी

समय ले लिया और इस वक्त भी 15 मिनट ले चुके हैं। तो अब जल्दी समाप्त कीजिए ताकि दूसरे लोग भी अपने विचार रख सकें।

श्री जनेश्वर मिश्र: आप कहें तो 5 मिनट में खत्म कर दें या कहें तो एक मिनट में खत्म कर दें। महोदया, मसूदा साहब के लोकपाल विधेयक में यह सरकार जो भी लोकपाल विधेयक लाए, उस में केवल एक विधान बना दिया जाए कि सार्वजनिक जगह पर काम करने वाला आदमी, जिस दिन वह सार्वजनिक जगह पर आता है, उस दिन उस की, उस के बाप-दादा की, उस के खानदान और रिश्तेदारों की जो कुछ भी माली हालत होती है, साल दो साल के अंदर जितनी माली हालत रहेगी, उस पर बिना मुकदमा चलाए, बिना नोटिस दिए, बिना जांच किए, बड़ी हुई संपत्ति को तत्काल जब्त कर लिया जाएगा तब यह भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब कभी भी सरकार की तरफ से यह जानकारी मांगी गयी है कि जो कुछ भी बाप-दादा से धन-संपत्ति मिली हुई है, उस की जानकारी भेज देंगे तो उस में बहुत से लोगों ने आनाकानी की है और असत्य जानकारी भेजी है। हम चाहते हैं कि कहीं-न-कहीं तो कानून बने, कोई-न-कोई तो उस्ताद निकालो क्योंकि इसके कारण आम जनता तक सुधार के किसी कार्यक्रम का लाभ नहीं जा पाता है। महोदया, भारत के एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने खुद कहा था कि जनता के कल्याण के लिए जो खर्च किया जाता है उसका 80 सैकड़ा बीच में ही खर्च हो जाता है। तो यह स्थिति है और इस में विकास हो नहीं पा रहा है। लोग बिना पानी तरस रहे हैं। आज एक भोगवृत्ति का युग चल रहा है। मैडम, हमारे सेक्रेटेरिएट के सामने जो फन्बारे चलते हैं या कनाट प्लेस पर जो फन्बारा चलता है, अगर उसे बांदा, मद्रास या आंध्रप्रदेश के वे लोग देख लें जिन्हें कि पीने का पानी नहीं है, तो वह इन फन्बारों को तोड़ देंगे। मैडम, यह तय है कि जो लोग सरकार चलाते हैं, वह सजावट की चीजों पर ज्यादा खर्च करते हैं। यह एजराही की प्रवृत्ति है, यह लोकशाही की प्रवृत्ति नहीं है और जब कभी भी सजावट की प्रवृत्ति बढ़ेगी ...

ज्ञान-शौकत की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो आदमी भ्रष्ट बनेगा। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौनसा करार कदम उठाया जाए? यह सोचना जरूरी है। कई बातें, कई आरोप, कई तरह के खेल-खिलौने के दौर से हम लोग गुजरे हैं। पिछले दिनों संयुक्त संसदीय समिति बैठाई गई

थी। माना गया था कि एक अपराध को उजागर करने के लिए यह सर्वोच्च संस्था है, मगर कोई ठोस कार्यवाही हो नहीं पाई। वैसे कई बार जांच कमेटी बैठी है। मैंने एक बार पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूँ कि नेहरू साहब का जमाना था, 1947 के बाद वाला जमाना था, गांधी जी के त्याग की गरमी थी, तो उस जमाने में मूंदड़ा वाला केस आया था। उसके लिए जज छागला की इन्क्वायरी कमेटी बैठाई गई थी और टी०टी० कृष्णामाचारी उनकी सरकार के बड़े ही लायक मिनिस्टर थे, उनकी बिना नोटिस के ही छुट्टी कर दी गई थी।

मैडम, उसके बाद तो लीपापोती का दौर चला। लाइसेंस घोटाले से लेकर प्रतिभूति घोटाले तक का आपको पता है। मैं इसका इतिहास नहीं दोहराऊंगा। जो भी सत्ता में आए, लीपापोती के दौर से चले। हम विरोधी लोग भी कुछ दिनों के लिए सत्ता में आए। ऐसे लोग बहुत दिनों तक सत्ता में नहीं रहते, हमेशा डरते रहते थे कि अब तो जाना है और आपस में लड़ते रहते थे। इसलिए इन लोगों पर ज्यादा भ्रष्ट होने का आरोप नहीं लग पाया, बड़े-बड़े केस नहीं बन पाए इनके खिलाफ। अगर कोई हिन्दुस्तान में कुर्सी पर लंबे समय के लिए बैठा रहता है तब उनमें भ्रष्टाचार पनपने की गुंजाइश हुआ करती है, कम समय के लिए कुर्सी होती है तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहती।

मैडम, मैं चाहूंगा कि मसूदा साहब हिम्मत करके इस बिल को रखें, रखे मायने वोट के लिए रखें। ... (व्यवधान) ... रख देना मायने पेश करना नहीं हुआ करता। साथ ही मैं चाहूंगा कि माफ़े आल्वा जी, जो संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्य देखती हैं, अपनी सरकार की तरफ से इनके बिल का समर्थन करें। इतना कहकर मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात खतम करता हूँ। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): श्री वी० नारायणसामी। श्री चतुरानन मिश्र।

श्री चतुरानन मिश्र: उपसभाध्यक्ष महोदया, यह जो नोन-आफिशियल बिल मसूदा साहब ने रखा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं उनको इसके लिए बधाई देता हूँ, जो उन्होंने इसके माध्यम से फिर एक बार पार्लियामेंट का ध्यान इस तरफ दिलाया है। अब यह पार्लियामेंट इसके लिए समर्थ है या नहीं कि यह काम कर सके, यह एक अलग बात है, लेकिन इन्होंने अपने

कर्तव्य का निर्वहन किया कि हम लोगों का, पूरे सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया।

महोदय, अभी जो हमसे पूर्व बक्ता बोले हैं, मैं उनकी बहुत सी बातों से सहमत हूँ, लेकिन इतने पर भी एक बात जरूरत कहना चाहता हूँ कि संघर्ष में बलिदान की जरूरत है और सत्ता में जो रहते हैं वह बग़बर भोग करते हैं। वह आज नहीं हुआ है, सब दिन हुआ है। इतिहास में ऐसा होता ही रहा है। राज करने का अर्थ भोग विलास तो होता ही रहा है। वह कोई अन्वय ही हो गया है, ऐसी बात नहीं है। जब हमारे मित्र खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि भरत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, शायद रोम के बाद। हमारा ख्याल है कि भारत के नहीं, दूसरे देशों के लोग भी काफी भ्रष्ट हैं। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि दूसरे लोगों के प्रधानमंत्री पर कार्य आया है तो वह लुटकर गए हैं, केवल हमारे प्रधानमंत्री के पास हाई टेकोलोजी है, कुछ कर नहीं पाते हैं। वह अलग बात है, हमारे देश की विशेषता उनकी हाई टेकोलोजी है। आप यह मत कहिए कि भारत बहुत पतन में है, बहुत गिर गया है, बहुत बातें हो रही हैं और दुनिया में सबसे निम्नस्थ हम ही हैं। ऐसी बात नहीं है। बीसे युग बहुत बदल गया है। बहुत लोग राजनीति में आते हैं और जैसा मैंने कहा यह भोग विलास की चीज है, इसलिए आते हैं।

महोदय, इन्होंने गांधी जी की बात कही। गांधी जी तो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वह तो संघर्ष का दौर था। राज तो दूसरों के जिये दे गए थे और तब से वह सब बात चली है। अगर संघर्ष का होता रहे तो अभी भी भ्रष्टाचार की कम गुंजाइश है। लेकिन एक नई बात हुई है कि पहले ऐसा होता था कि जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता था राजाओं को, राज कुम्हारों को तो वे सन्यास ले लेते थे लेकिन अब परम्परा यह है, अभी नई परम्परा बनी है, माधुर साहव कृपा करके हमारी बात पर ध्यान देंगे, इनके युग में ऐसा हुआ है कि वैराग्य वाले वे सधु-संत हैं, सब संसद में आने के लिए जान लड़ा रहे हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माधुर (उत्तर प्रदेश): हम उनके ठीक आदमी बना रहे हैं।

श्री चतुरानन मिश्र: हम आपको कहाँ कह रहे हैं कि आप खराब बना रहे हैं, हम इतना ही कह रहे हैं कि पहले राजा-महाराजाओं को जब वैराग्य उत्पन्न होता था

तो वे सन्यास ले लेते थे और आप सन्यासी को वैराग्य उत्पन्न करके संसद में ला रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): यानी आप कहना चाहते हैं कि वे लोग सन्यासियों को भोग के एते पर ला रहे हैं?

श्री चतुरानन मिश्र: हम क्या कहें, वे बहुत समझदार लोग हैं, पूरा समझ रहे हैं। इसलिए हमारा ऐसा ख्याल है कि जितना भ्रष्टाचार है, सारे को दुरुस्त कर देंगे, ऐसा ख्याल छोड़ देना चाहिए, वह होने वाली बात नहीं है। हमारे लिहाज़ से दो चीज़ें दुनिया में हर जगह हैं—भ्रष्टाचार और भगवान। एक का ऐड्रेस है दूसरे का ऐड्रेस नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद माधुर: दोनों सर्वव्यापी हैं।

श्री चतुरानन मिश्र: दोनों सर्वव्यापी हैं। अब हमें कोई देश बतल सकते हैं जिसमें भ्रष्टाचार न हो? हम कम्युनिस्ट हैं, हम भी जानते हैं कि क्या हुआ था सोवियत यूनियन में, रोमानिया में, चाइना में, इनमें क्या हुआ, हमारे राज में भी हो रहा है इसलिए हम उठने बाबूत नहीं हैं जितने हमारे दूसरे मित्र हैं।

हम दूसरी बात कह रहे हैं, अभी जो स्थिति पहुंच गई है, जिसको सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो लोग बकालत छोड़कर के, अपना पेशा छोड़कर के, शिक्षक का काम छोड़कर के संघर्ष में आए, लेकिन अभी क्या हो रहा है? राजनीति में आने के लिए लोग बड़े पैमाने पर उछल-कूद कर रहे हैं। हमने सोचना शुरू किया कि शब्द नई जागृति आई है इसलिए लोग उछल-कूद रहे हैं, अगर ऐसा होता तो सम्मान का कल्याण हो जाता। सही बात यह है कि राटेंट पीरियड में धन कमाने का सबसे बड़ा साधन राजनीति बन गई है। एक बार अगर कोई एम० एल० ए० या एम० पी० बन जाए तो फिर उसकी कई पुस्तों का वह डब्बा करके चलता जाता है। वह सबसे गड़बड़ी की बात हो गई है जिसको हमें रोकना चाहिए और इसके लिए जो अभी विधेयक की बात आई, हम चाहेंगे कि सरकार के लोग इसको सुनें। हमको लग रहा है कि राजनीतिज्ञों की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा नीचे स्तर पर अभी चली गई है और प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है, जब तक मजबूत राजनीतिक दल न हों तब तक प्रजातंत्र चल ही नहीं सकता लेकिन राजनीतिक दलों की साख में भी बहुत तेजी से घटोत्तरी हो रही है इस चीज के चलते।

ऐसी हालत में अगर इस प्रजातंत्र को बचाना है तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि ऊपर से ही इस काम को शुरू किया जाए। प्रधान मंत्री को स्वयं चाहिए, वैसे बोले थे, एक रोज बोलते हुए लग्न कि उन्होंने मन किया था कि लोकपाल बने जिसे प्रधानमंत्री के बारे में भी विचार करने का अधिकार है लेकिन हमको लगता है कि कोई दूसरा राज चलाता है, अगर वही चलाते हैं तो उनका कहना क्यों लागू नहीं होता है?

श्री संघ प्रिय गौतम: कहीं से आवाज आ रही है।

श्री चतुरानन मिश्र: यह प्रधान मंत्री की आवाज नहीं है। वे बहुत कम बोलते हैं और जब बोले तब भी लागू नहीं होता है तो अगर कोई दूसरा राज चलाता है तो हम लोगों को बताएं तबकि हम लोग समझें।

श्रीमती पारश्वत आलुवा: आजकल राज्य सभा में लगता है कि अपोजीशन ही राज चला रही है, आप ही तो डिबेट करते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र: हम जब डिबेट करते हैं तो फ-क-फ-के लोग खड़े रहते हैं आपकी मदद के लिए, आप कहे को पोरशन होती है।

वह तो चलाता ही है राजनीति में।

यै दूसरी बात कह रहा था। जैसा प्रधान मंत्री का पद है और उन्होंने कहा कि वह लोकपाल बिल हो और इसमें सभी राजनीतिज्ञ भी टन जाएं, तो फिर एक कौन रहा है? प्रधान मंत्री कहते ही हैं, विपक्ष कहता ही है, सदन इसके लिए तैयार हो ही, तो फिर हो क्यों नहीं रहा है? यही सबसे विजयवाक्य बात है। इसका मतलब है कि प्रधान मंत्री को सही अहसास नहीं है कि इस देश में क्या हो रहा है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि प्रजातंत्र को बचाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाएँ जब तक कोई बहुत सख्त है तब तक कीजिए, नहीं तो सड़कें पर लोग हमारे आपके सिर को लुटका देंगे और मारेंगे नहीं। मैं श्री जनेश्वर मिश्र जी के इस विचार से सहमत नहीं हूँ जैसा वह बोल रहे थे कि कोई डिबेटर आ जाएगा, तो बहुत अच्छा राज होगा।

श्री जनेश्वर मिश्र: ऐसा मैं नहीं करता।

श्री चतुरानन मिश्र: ऐसा नहीं कहा, तब अच्छा है। डिबेटर राज और भी ब्रह्म होता है।

श्री जनेश्वर मिश्र: मैं यही कहा है।

श्री चतुरानन मिश्र: डिबेटर बे-तराह ब्रह्म होता है। इसलिए डिबेटर कोई रेमेडी नहीं है उसका रास्ता

निकालने का। तो हम यह चाहेंगे कि जो राजनीतिज्ञों की सख्त गिर गई है, जिसके चलते हमारे राष्ट्रीय जीवन के बाइबल समाप्त होते चले जा रहे हैं, यह गणतंत्र खतरे में पड़ गया है, राजनीतिक दल की प्रतिष्ठा समाप्त हो रही है। ऐसी हालत में सरकार को ऊपर से कुछ कदम जल्द से जल्द उठाना चाहिए। अभी तो और भी उठाना चाहिए कांग्रेस पार्टी के लोगों को, सरकार के लोगों को। जहाँ जाखड़ साहब बैठे हुए हैं उनके पीछे अर्जुन सिंह जी बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए, वह दिखाई नहीं पड़ते हैं, बात यही है।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): वह तो बहुत उत्तम है।

श्री चतुरानन मिश्र: जो भी हों हम कुछ नहीं कह रहे हैं, सभी उत्तम हैं। हम जो कह रहे हैं कि क्या वह व्यवस्था चलने वाली है? चलाने वाले तो हम और आप ही हैं। क्या आगली पीढ़ी हमें और आपके काम करेगी, अगर हमने इसको नहीं देखा। हम किसी एक व्यक्ति के दोष वाली बात आपसे नहीं कह रहे हैं। दूसरी, सबसे खराब बात है—प्रशासन और अपराध-कर्मियों का ऐसा मिलन हो गया है जैसा जानी और चीनी का संबंध बनता है। उनको पहचानना काफी कठिन है। वह और और नीर कौन इस संबंध, कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बड़े पैमाने पर अपराधकर्मी राजनीति में आ रहे हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि बिगडेट गार्टर, मैडम, किसी बैंक से अपने कर्ज लिया है या नहीं? अगर आया जाएगा तो बैंक वाले गार्टर पूछते हैं। कम से कम पब्लिक तो आपसे कहती होगी कि वहाँ बिग गार्टर के कोई कर्ज नहीं मिलता है। लेकिन अपराधकर्मी और राजनीतिज्ञ बिग किसी गार्टर के धन कम सकते हैं, इसमें खतरा है नहीं। आप घर कम बन लीजिए और बस जा रही है तो उस पर बैंक दीजिए। फिर लूट लीजिए और चले जाएँ। बिग गार्टर के लाखों लाख रुपए लेकर चले जाएँ। इसमें बहुत से बहुत बड़ी होगी कि कोई मनीष सदास वहाँ डकैती का सवाल उठा देंगे। इस पर सरकार कहेंगे कि वह लाँड आर्डर का विषय है। राज्य सरकार का विषय है। वह वहाँ जाएगा और वहाँ से वहाँ आएगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा तो असहाय जीवन है वहाँ पर, जितने हम लोग हैं। ऐसा हैल्पलैस केबर तो कोई नहीं है, जानते हुए कि धनधोर प्रशासन है, जानते हुए कि अपराध कर्म हो रहे हैं, वहाँ बोल करके अपने दिल को ठंडा करके चल देते हैं। इस

स्थिति को समाप्त कीजिए तभी कोई समाज और देश जिंदा रह सकता है।

इसके अलावा हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार रोकना यह कोई बहुत आसान काम नहीं है। हमने शुरूआती कदम के लिए कहा है। परन्तु जो कोशिश होनी चाहिए इंस्टीट्यूशनल कोशिश होनी चाहिए। इस विचार को त्याग दीजिए कि एक आदमी बहुत अच्छा है यह बहुत बुग है। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लीजिए ताकि न्यूनतम भ्रष्टाचार की गुंजायश आ सके।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): कुछ गुंजायश रहे?

श्री चतुरानन मिश्र: टोटल को रोकने का, उपाय आप कर ही नहीं सकते। हमारा ख्याल है कि वह हो ही नहीं सकता है। कुछ भ्रष्टाचार तो बगबर ही होगा। लेकिन कुछ की बात नहीं है। जो सर्वनाश की तरफ जा रहे हैं, उसको तो पहले रोक लीजिए तब "कुछ" को बाद में देखिएगा। फिर बाल-बच्चा भी तो कुछ करेगा, सब करके आप ही मत जाइए, दूसरे लोग भी तो करेंगे। संस्थागत उपाय के लिए जैसे देखा जाए, अभी इन्होंने जब लाइसेंस परमिट एज समाप्त किया तो एक उससे अच्छा नतीजा निकल रहा था कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। तब तक देखते हैं कि एक नया फार्म निकल गया, सिविलियरिटी स्कैम्स बगैरह देख लिए। अब हमारे वित्त मंत्री सरदार जी नहीं हैं, नहीं तो वे बताते हमसे कि लोकसभा में है तो अच्छी बात है। तो हम आपसे यह कहना चाहते थे कि भ्रष्टाचार के न्यू मेथड निकल कर चला आया और इतनी तेजी से चला आया, सट्टा बाजार का, शेयर मार्केट का कि फिर सारे किस्म की दूसरी बातें हो रही हैं। हम लोगों ने, सभी ने, राष्ट्र ने सोच करके पब्लिक सेक्टर तय किया था कि पब्लिक सेक्टर रहेगा तो सरकार को एजब्स भी मिलेगा और आगे भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर काफी भ्रष्ट साबित हो गया है। अब सब टूटे हुए हैं कि खानगीकरण की तरफ चले, प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले। अब सब उधर जा रहे हैं। अब देखने में आ रहा है कि प्राइवेटाइजेशन तो पहले भी था और उस जमाने में ही साबित हुआ जब नेहरू जी थे कि खानगी क्षेत्र भ्रष्टाचार की मां है। तभी संथानम कमेटी बैठाई गई थी और उसने कहा कि प्राइवेट सेक्टर वाले से तो कोई कुकर्म नहीं छूट रहा है जो हमारे अफसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वे न करते हों। यह लिखा हुआ है, रिपोर्ट है सबके

सामने। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि संस्थागत उपाय ज्यादा से ज्यादा सोचिए। इसमें एक चर्चा इन्होंने की कि जो पोलिटिशियन हैं, उनकी सम्पत्ति का ब्यौरा जब किसी पद पर आएँ, हम तो चाहेंगे कि ट्रेंड यूनिशन वालों को भी शामिल कर लिया जाए। शायद आपकी भी राय होगी कि वे लोग भी बिना पार्लियामेंट और असेंबली में आए हुए बहुत माल इधर से उधर कर लेते हैं, तो वे लोग भी इस दायरे में रहें तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए संस्थागत उपाय होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सीक्रेसी को न्यूनतम किया जाए, ट्रांसपैरेंसी को बहुत ज्यादा किया जाए। हमारा अपना अनुभव रहा है कि कम्युनिस्ट लोगों के राज में सबसे कम भ्रष्टाचार था।

श्री संघ प्रिय गौतम: था कि है?

श्री चतुरानन मिश्र: था। हमारा अभी भी यही मत है क्योंकि उनके यहां कोई धन कमा करके कारखाना बना लेगा ऐसा रूस में कभी नहीं हुआ था, या जमीन भी खरीद लेगा, बेनामी भी। कम्युनिष्टों के विरोधी से विरोधी रूस में आये मगर किसी ने ऐसा नहीं बताया। लेकिन इतने पर भी खुलापन अगर नहीं रहा तो भ्रष्टाचार वहां आ ही गयी, इसको रोक नहीं जा सकता। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि छोटा सा काम अगर प्रधान मंत्री कर दें तो हम समझते हैं कि भ्रष्टाचार में कुछ कमी होगी।

हमारे अखबार रोज रंगे रहते हैं हर स्तर के भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ से चाहे वह ऊपर का हो, चाहे अफसर का हो या नीचे का हो। एक आदेश यह जाए कि जिस अखबार में यह निकले, कहीं पर भी यह निकले तो जिस अफसर के बारे में निकले, उसका सुपीरियर अफसर तुरंत जांच करके अखबार में बयान दे दे, स्पष्टीकरण दें। कल से सब आ जाएंगे एक भेरे के अंदर कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो वे जांच में जायेंगे इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा, कुछ ज्यादा करना नहीं है आपको। अगर ये खुलापन हम लोग यहां दें और यह खुलापन लोकपाल बगैरह के जरिए हम लोगों पर आ जाएगा, राजनीतिज्ञों पर आ जाएगा, तो ये ट्रांसपैरेंसी आने से और समाचार-पत्रों में आने से हम लोग इसके काफी हद तक दूर कर सकते हैं। इस संबंध में एक बात हम यही अर्ज कर सकते हैं कि हमारा ऐसा ख्याल है कि चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे सरकारी पार्टी के लोग हों, जब भ्रष्टाचार का मामला होता है तो कुछ संकीर्ण पार्टीगत राजनीति से प्रेरित हो विचार करते हैं। अगर भ्रष्टाचार का मामला है तो हरेक पार्टी को चाहिए कि

पार्टी की बात नहीं सोच करके उस विषय को देख करके उस पर हम लोगों को कार्यवाई करनी चाहिए। लेकिन यह कहना आसान है, लागू करना बहुत कठिन काम है, लेकिन उस दिशा के लिए इंस्टीट्यूशनल गारंटी कुछ की जाए कि अगर ऐसा कोई करेगा तो इसके संरक्षण मिलेगा।

एक दूसरी बात है कि जिसकी गारंटी करनी होगी और वह भय को दूर करना, यह चर्चा तो बहुत दिन से हो रही है। जो निर्भीक हो कुछ करे उसके सुरक्षा प्रयत्न की जाए। अगर किसी ने हमको आ करके कह दिया कि आप भ्रष्ट हैं और हम सत्ता में हैं तो तुरंत हम उसके सताने के लिए लग गए, दबाने के लिए लग गए। इसे रोकने की इंस्टीट्यूशनल गारंटी हो। अगर यह अभियोग लगाया है, हो सकता है कि यह अभियोग 50 परसेंट गलत हो, 75 परसेंट गलत हो, तब भी सिर्फ अभियोग लगाने हैं इसलिए यह कार्यवाही नहीं होगी। अनुचित अभियोग हो तो कानून अपना रस्ता ले लेता है और लेना भी चाहिए। कुछ लोग अभियोग लगाकर ही पैसा कमाते हैं। यह भी एक तरीका बन गया है। इसलिए मैं आपसे यह कहूंगा कि निर्भीकता की सुरक्षा हम लोग कैसे कर सकें, इसकी हम गारंटी करें। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद मैं इस बात को कहूंगा कि इसकी असली दवा है जन-चेतना, सामाजिक चेतना। सोशल कांसेन्सस अगर नहीं होगा समाज के लोग भी अजीब है। हम जायेंगे, भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी है तो कहेंगे आइए हम आपको भूले नहीं हैं। हम बराबर आपके बारे में सोचते हैं और ज्यों ही हम चले जायेंगे तो बोलेंगे कि भई इसके जैसा बेईमान आदमी कोई नहीं है। खुलकर बोलेंगे नहीं। वह इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वे डर से भयभीत हैं। इसलिए हमारे कानूनों में इसकी गारंटी होनी चाहिए ताकि वे निर्भीक होकर समाज में अपनी बात कह सकें। हो सकता है कि इसमें अतिरेजना होगी, मैं इससे इंकार नहीं करता। लेकिन अगर आप स्वस्थ समाज चलाना चाहते हैं तो यह प्रोटेक्शन सिस्टिजन्स को दिया जाए। ब्लैक मेल करने वाले भी होंगे लेकिन उनके लिए कानून का अपना कोर्स है। लेकिन यह निर्भीकता हम लोग जल्द से जल्द करें। अगर यह जनमानस तैयार हो जाये तो चुनाव में ज्यादा पैसा खर्चा करने के जरूरत नहीं होगी। न फिर चुनाव के लिए भारी रकम-जुटने की? नहीं तो आप लोगों को बहुत धन जमा करना पड़ता है।

इस्रायल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): त्रिपुर में नृपेन बाबू के बारे में बोलिए।

श्री चतुरानन मिश्र: त्रिपुर में नृपेन बाबू ने कहा है कि कुछ नेता काफी पैसा जमा किया है लेकिन वह आपके बारे में बोले थे कि आप गड़बड़ करते हैं।

श्री संतोष मोहन देव: आप पी० एम० के बारे में बोल रहे हैं, नृपेन बाबू के बारे में कुछ बोलिए।

श्री चतुरानन मिश्र: हमने तो आपसे कह दिया कि अगर नृपेन बाबू की बात करनी है तो शुरू से जो कुछ उन्होंने कहा उन सारी बातों की जांच करें। आपके बारे में जो कहा था उसकी जांच हो। से ... (व्यवधान) ... हम तो देखें।

श्री संतोष मोहन देव: कांग्रेस पार्टी नहीं, आप अपनी पार्टी की बात बोलिए। ... (व्यवधान) ... नृपेन बाबू इतना बोलता है ज्योति बाबू के बारे में, उस बारे में भी कुछ भाषण दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आपस में झड़लोग न करें।

श्री चतुरानन मिश्र: हमने तो कहा कि नृपेन बाबू को ... (व्यवधान) ... जब आप मान रहे हैं पंच तो सभी केस उनके दीजिए। आप ... (व्यवधान) ...

श्री संघ प्रिय गौतम: मिश्र जी ने पहले ही कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी में पहले भ्रष्टाचार कम था, लेकिन अब ज्यादा है, उन्होंने पहले ही कहा है।

श्री चतुरानन मिश्र: हमने कहा कि दूसरों के मुकाबले में सबसे कम है।

श्री जगदीश माथुर: सब की बात हो रही है लेकिन बंगाल की बात नहीं हो रही है।

श्री चतुरानन मिश्र: नहीं नहीं, ऐसा कीजिए, हमने तो कहा था उस दिन, अभी भी कहते हैं, ऐसा कोई कमीशन बना दीजिए—आप भी तो कहीं एज करते हैं, हम भी बंगाल में एज करते हैं, जनता दल भी कहीं एज करता है, कांग्रेस वाले भी एज करते हैं—वह देखे कि हर जगह भ्रष्टाचार का क्या हाल है। अगर बंगाल उसमें सबसे कम नहीं होता तो हम सजा भुगतेंगे और अगर आप लोगों का ज्यादा होगा तो इसको स्वीकार कर लीजिए। हमने यह नहीं कहा कि हम एकदम दूध के धुप हैं। यह हमने कभी नहीं कहा। लेकिन हमने इतना जरूर कहा है कि दूसरों से कम है। संतोष मोहन देव जी खड़े हो गए, हम कहेंगे कि नृपेन बाबू की बात शुरू से मानी जाए। पहले भी जिसके बारे में कहे हैं तो पहले

उसकी जांच करावा लें और क्रमिक रूप से जिसका-जिसका कहेंगे उसका करावा लें। इसको आप स्वीकार कर लीजिए।

श्री जगदीश प्रसाद पाधुर: जो मिश्र जी कह रहे हैं उसको सोचो, समझो और करो। खुला करेंगे दंड मिलेगा, भ्रष्टाचार बंद करे।

श्री चतुरानन मिश्र: मैं आपसे यह कहना चाहता था कि लोकपाल की नियुक्ति के सवाल को पहले भी उठाया गया है। जहां तक लोकयुक्त की बात है, कई राज्यों में लोकयुक्त कायम है। उससे अच्छा इस समस्या का निराकरण हो गया, समस्या का निदान हो गया, ऐसा मत समझिए। लेकिन थोड़ा सा चेक है, हमारे राज्य में है ... (व्यवधान) ... हां कुछ जगह यह भी नहीं हुआ, वह भी ठीक है। इन लोगों का जो काम है, वह एडवाइजरी है। जब तक आप खुलापन नहीं रखिएगा तब तक कोई डरेगा नहीं क्योंकि लोकयुक्त से सरकारों फाइल को फिर आप ही के पास जाना है सब कुछ, और आप दबाकर रख देंगे तो हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको कोई व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं।

हमारा कहना यह है कि खुलापन आ जाए और सब की जांच हो। इसलिए हमने अखबारों की चर्चा की है कि अखबार में जो बात आए उसको कहिये कि इन्फिडियेट बॉस इन्क्वायरी कर के तुरंत बताए कि क्या है। हम कह रहे हैं कि खुलापन लाइये, निर्भीकता को बढ़ाइये सभी मिल कर के इसके लिए प्रयास कीजिये। सौभाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय जीवन में सब से ज्यादा योगदान गांधी जी का रहा। उन्होंने बड़ा ही पवित्र जीवन बिताया था। वह आदर्श हमारे सामने है। यह अभी हाल ही की बात है। हजारों वर्ष पूर्व के भगवान बुद्ध, जीसस क्रिस्त, की बात पुएनी है जो अभी हाल ही में हुआ, इस आदर्श पर हम चलें। एक मरदमी ने अभी हाल ही में हमें कर के दिखाकर दिया। इसको हम लोग जीवंत करें तो हम समझते हैं हमारे यहां जो केसरस डिस्मिज़ करप्शन का फैल चुका है सोसाइटी में उसको हम लोग बुझा देंगे। मैं यह तो नहीं कहता हूं कि इससे बिल्कुल भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा लेकिन बहुत काम करके स्वस्थ दिशा में ले जाएंगे। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि आप कदम उठाइये, हम लोग भी आपके साथ रहेंगे। आप कोई रास्ता निकालिये। यह जो समाज में बात फैल गई है कि पार्लियामेंट इज़ हेल्पलेस, अक्वॉटेबिलिटी नहीं है राजनीतियों की कोई इनको पकड़

नहीं सकता है, कोई कुछ कर नहीं सकता है, असहाय हो गया है पार्लियामेंट, इसको समाप्त कर दीजिये नहीं तो राजनीतिक जीवन चलाना कठिन हो गया है, डेमोक्रेसी को नहीं चलाया जा सकता है। वही आपसे अनुरोध है। यही कह कर के मैं सरकार से आग्रह करूंगा, बिल को वापिस ले या नहीं लें, यह तो उनका काम है, लेकिन सरकार वह वापिस न ले ले कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जल्दी होगा, इसलिए आप कोई तरीका बता दीजिये, इस सत्र में या अगले सत्र में कीजिये नहीं तो फिर आप भी बाद रखिये अब दूसरा ट्रायल होने वाला है, फिर चुनाव आने वाला है एक साल में तब तक बहुत देर हो जाएगी आपके लिए भी। इसलिए जो करना है आप बतल रहते कर लीजिये नहीं तो जल्दय वकत आपके लिए भी नहीं है। इतना ही हमको आपसे अनुरोध करना है।

THE VICE-CHAIRMAN
(SHRIMATI KAMLA SINHA): Shri Ram Jethmalani not present.

Shri Chimanbhai Mehta, I called your name. You were absent at that time.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I may be permitted to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SMT. KAMLA SINHA) Let him finish.

SHRI V. NARAYANASAMY: Okay, thank you.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): If you want to speak, I don't mind. I will sit down.

SHRI V. NARAYANASAMY: No, no. You speak.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: I have to move an amendment. Therefore, I will be taking a minute or two. Madam, I move:

That at the beginning of para 5 of the Resolution, the following be added: ...

THE VICE-CHAIRMAN (SMT. KAMLA SINHA): Chimanbhaiji, you have already moved your amendment. So, you speak on it.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): No, I have not moved it. It

has been tabled. Now I am moving it in the House. I move:

That at the beginning of the para 5 of the Resolution, the following be added,

"Lokpal may be nominated by the entire Supreme Court judiciary and Lokayukta by the entire High Court judiciary in a transparent manner or".

Why I have suggested this amendment is that some people at times doubt the integrity of the Lokpal. Who knows how the Lokpal will act in a situation which is peculiar in our country? Sometimes Judges also acted in a manner which was strange. Therefore, I thought that Parliament is the best forum. The whole thing is transparent here. We can nominate by a majority. If it is not suitable, then, I have suggested this amendment that the judiciary which is away from the political humdrum, may be entrusted this task of nominating the Lokpal. The Lokpal is also a judicial authority. So, I have moved this small amendment.

In the body of the Resolution, there is one important para that deals with corruption by important people.

In Germany there is a system that if one-fourth of the Members move a resolution on the floor of the House that a particular officer has indulged in corruption and if that motion is passed, that is sufficient to start investigation against him. Now, one-fourth cannot be so easily mobilised. But sometimes, for the sake of argument one can say that our Opposition can mobilise one-fourth of the Membership, whenever it wants to move a motion against the Minister. All right. If that is the case and once the investigation proceeds and if the officer is found innocent, the Opposition may look to be vindictive and ridiculous. So, if the Opposition once does such kind of a thing and gets this kind of a result, it may

not do it again. That is why in Germany Ministers, judges or bureaucrats do not indulge in corruption at a higher level, because one-fourth Membership cannot be considered irresponsible. This is the real internal check. Misuse is out of question. Maybe once or twice the misuse is there, but if the result goes against the motion, they might suffer

In the Supreme Court the question whether the Governor has a right to sanction prosecution against a Chief Minister is pending. Had there been a Lokpal the issue would not have gone there. It would have straightway come to the Lokpal and the crisis that is being faced by that particular State would not have been there. We know recently two Ministers had to resign from the Narasimha Rao Government. I do not say they are guilty. Nor can they be considered innocent. Anyway, they have left the Ministry. But, is it sufficient, because investigation is not taking place, because there is no Lokpal operating? According to the anti-corruption Act, unless the Government sends a case for prosecution, you cannot prosecute any Minister. That means the Act is not an anti-corruption Act, but it is a corruption protection Act. Thousands of Ministers have come and gone during the last 25 years and not a single Minister has been prosecuted. Mr. Antulay was prosecuted when he became an M.L.A. for the crime he committed as a Chief Minister, because other people came in and permitted the prosecution. So, with such tribulations, how can you curb corruption? Margaret Alva Ji is here. She understands all these things. I hope she will accept the Resolution. It is a very good Resolution. If it is accepted it will make a history in the post-Independent India that here is Government which is prepared to be transparent, which is prepared to enact a Lokpal Bill. So, it is for the Government to decide. This is what I have to say.

SHRI V. NARAYANASAMY:
 Madam Vice-Chairperson, when the honourable senior Member, Shri Chimanbhai Mehta raised the issue of corruption in high places, some Members of Parliament have associated themselves with him. They have also mentioned about the facts relating to corruption in the society.

Madam, the Resolution that has been brought forward by hon. Member, Shri Mohd. Masud Khan relates to the establishment of Lokpal and Lokayukta and the manner in which the Lokpal and Lokayukta can be elected by three-fourth majority. All these details have been mentioned.

Madam, I would like to refer briefly to the history of the Lokpal Bill and the Lokayukta Bill that were attempted from 1969. Madam, you are fully aware of the fact that twice in 1969 and 1977, these Bills were introduced in Parliament. The Lokpal bill deals with corruption charges committed by the Union Ministers, State Ministers, Deputy Ministers and Members of Parliament. They can be prosecuted under this Bill on corruption charges. Unfortunately, both the times when the Bills were pending, the other House was dissolved. When Shri Rajiv Gandhi, our leader was the Prime Minister of this country, the Bill was brought before this House and before the other House and it excluded the Prime Minister. The Bill was brought in for the purpose of tracking down the politicians especially the Union Ministers, the State Ministers and the Deputy Ministers and Members of Parliament who were involved in corrupt activities and who were to be punished. But when the Bill was referred to the Select Committee, they could not arrive at a consensus and, therefore, the Bill was withdrawn.

Then, once again an attempt was made by the then Janata Dal Government in 1989. They brought forward a Bill which included the Prime Minister under its purview. When this Bill was brought

forward, once again the other House was dissolved. The Bill did not find a place in the Statute Book. Then, day in and day out in the Lok Sabha and in this House, hon. Members have been raising the issue of corruption in high places. Since the Government is concerned with this issue, the position has been made very clear. Even our hon. Prime Minister, while intervening in the debate on the Lokpal in this House, said very clearly that we want the Bill to be introduced and passed and even the Prime Minister can be included under the purview of the Lokpal but there should be a consensus among all the political parties in the country. I understand that the Government wrote a letter to various leaders of political parties to elicit their view-points and then they would like to discuss the matter with them. Madam, we are accusing only politicians day in and day out in this Parliament and outside, but we are forgetting one thing and that is there are hidden people in this country who are involved in corruption. We are totally ignoring them or we are avoiding to discuss about them for our own convenience. I had raised this issue when we discussed this matter.

Madam, there are several enactments in this country like the Prevention of Corruption Act, The Commission of Inquiry Act etc. So many provisions are there for punishing a person for bribery under the Indian Penal Code. A procedure has been evolved under the Criminal Procedure Code. There are umpteen enactments for the purpose of punishing people who are involved in corruption. But unfortunately, a lengthy process is involved in the legal system. People are not in a position to go to court. The bureaucrats who are involved in corruption, the Prevention of Corruption Act takes care of them. In this system, we find that the officer who is involved in this thing either retires or he dies or superannuates while the proceeding are going on. As I observed earlier, corrup-

tion that has been perpetrated in the official circle. In the official circle by the bureaucrats in this country—not only in India, in any other country—is more than 90 per cent, in which area our concentration is much less. Let us think, ponder over and deliberate upon it and try to find a foolproof system by which the bureaucracy in this country accepts the political leadership and implements the policies and programmes that are initiated by the Government that has been voted to power. In so many countries, we find that the bureaucracy is trying to control the political system. It happens in most of the countries in the world. Therefore, when the hon. Member says that the Lokpal Bill has to be brought in the House, there is no difference of opinion on that among political leaders. But the manner in which it has to be brought, the procedure to be evolved for taking action against political leaders, Ministers and Members of Parliament, the persons to be included, and details of that sort have to be worked out. Even attempts made in earlier times proved futile. They did not yield positive results. Therefore, we have to find out a methodology, a system, by which we can see that corruption in high places in this country is eliminated. Madam, even in a communist country like China, in socialist countries like Russia, when we visited those countries, we found that 25 per cent of the Ministers were corrupt and those Ministers were sacked by the administration for corruption. In any political system, we find that either by the pressure given by the Opposition—whether it is a State Government or the Central Government—or by the leadership itself, action is taken and Ministers are being taken to task. It is being done. We cannot simply close our eyes to that and say that only by bringing in the Lokpal Bill, we can solve the corruption problem in this country. We say that the judicial system takes a long time. But, where is the guarantee, who can give the

guarantee, that you will be able to minimise the period of investigation, inquiry and punishing a person after trial, that it will be finished within a short period? It is not possible.

Therefore, it is a wider issue. This issue has to be debated at the national level. The public have to be involved, the political leadership has to be involved, trade unions have to be involved, bureaucrats have to be involved and intellectuals have to be involved. There should be a wider debate for the purpose of bringing in a Lokpal Bill in this House or for evolving the methodology by which we are going to take action against the political leadership, against the persons, who are involved in corruption at high places. Chimanbhai Mehtaji has been raising this issue in this House often. He is very much concerned. We know that. We are also supporting him on this issue. There are no two opinions about it. Nobody supports corruption in this country. Nobody is prepared to say that there should be no Lokpal Bill. Such Bills were brought several times. But there was no consensus amongst the political leaders of this country. One issue, whether the Prime Minister should be included in the Lokpal Bill or not, was debated for more than six months. It was discussed in the Select Committee. And after six months, some agreed, some did not. Thereafter, it was dropped. In 1969 and 1977, on the inclusion of Prime Minister alone, there were debates. Ultimately, the Bills lapsed because of dissolution of Parliament. In 1989, Prime Minister was included and there was a controversy. There was a nation-wide debate on that. Ultimately, that Bill also lapsed.

So, to my mind, as far as corruption at high places is concerned, it is a wider, a larger issue, concerning not only politicians but various people who are involved in the administration. Bureaucrats, executives, all are involved. Everybody is concerned about it. Everybody is in-

volved in the process of nation-building. Wherever a mistake takes place, whomsoever is involved in corruption, we will have to take action. A discussion has been going on for the last two weeks in this House, but, unfortunately, nobody has given concrete suggestions as to how the consensus can be arrived at for the purpose of bringing in a Lokpal or Lokayukta Bill in this House. I agree with the hon. Members that it is the responsibility of the Government to bring in a Bill before the House. But before doing that, we want to take the Opposition into confidence. If we do not act in that way, then, tomorrow, when the Bill is brought before the House, the Opposition will raise a lot of hue and cry in this House. Everybody knows that. *(Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): We are for this. In Tamil Nadu, we had passed the Public Men (Prevention of Misconduct) Act. Subsequently, it was repealed after four years. It was passed in 1973 and was repealed in 1977. *(Interruptions)* We are in favour of this Bill. But, if the Bill does not contain adequate provisions, we will give amendments. *(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: I welcome it because at least there is a blanket support from one political party for bringing this Bill. Shri Chaturanan Mishra can also contribute a lot by giving his suggestions to the Government. *(Interruptions)*

SHRI CHATURANAN MISHRA: Unless you bring in the Bill, how can we give our support? Do you want our advance support?

SHRI V. NARAYANASAMY: No, a letter has been sent by the Government... *(Interruptions)*

SHRI CHATURANAN MISHRA: No, no. We have already told you that we are in favour of bringing in a Bill. Why are you repeating the

something time and again? For how many years will you go on asking us for our support? You bring in the Bill and we will vote for it. Do you want our support even before the Bill is brought? That would be an unprecedented thing. It has never happened in this House. Let the Bill be brought first and then only we can vote for it or do you want to vote in favour of the Bill before the Bill is brought?

SHRI V. NARAYANASAMY: You have not understood me properly. There is a resolution brought by Shri Mohd. Masud Khan before the House. *(Interruption)*.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Narayanasamy, you don't react to their comments.

SHRI V. NARAYANASAMY: I am not reacting. What I am saying is that the political parties who have been given letters... *(Interruptions)*.

SHRI CHATURANAN MISHRA: We are supporting you.

SHRI V. NARAYANASAMY: You are giving a general support. But when it comes to the question of the Bill. *(Interruptions)*.

SHRI CHATURANAN MISHRA: How can we do this without the Bill? Unless you bring in the Bill, how can we vote for it? Let this resolution be there from one of the hon. Members of the Congress Party. Let us agree to pass this resolution.

SHRI V. NARAYANASAMY: So far as the question of passing of this resolution is concerned accept it partially. Kindly hear me. *(Interruptions)* Let me read out two paragraphs of this resolution. Part (c) of para I and para II of the resolution states as under:

"(I) (c) Lokpal/Lokayukta may be elected by three-fourth majority of the Members of Parliament

and the State Legislature respectively and their removal can be effected by a resolution passed by two-third Members of Parliament and the concerned State Legislature; and

- (ii) enact an alternative constitutional provision so that on a motion moved by one-fourth Members of the Legislature an investigation could be undertaken against any Minister or high functionary of the Government in respect of act of bribery, corruption and misuse of power by the Committee of the representatives of the people constituted by Legislatures at Centre and State level."

This is what he wanted. Do you want that to be included in the Bill? What sort of methodology do you want to adopt in this respect?

SHRI CHATURANAN MISHRA: I will support anything. But, this is not a Bill. This is a resolution.

SHRI V. NARAYANASAMY: This is not a Bill but a resolution in which he mentions certain measures. How the Lokpal/Lokayukta Bill to be passed? Kindly hear me. The Parliament and the State Legislatures have to be given powers to elect the Lokpal/Lokayukta. I have been harping on the issue right from the very beginning of my speech. What should be the methodology? What should be the procedure? What should be the system? That is what I said. According to me, this is not acceptable. (Interruptions)

AN HON. MEMBER: This is in the American Senate.

THE VICE-CHAIRMAN (SMT. KAMLA SINHA): Don't interrupt. He is expressing his own opinion. Don't interrupt him. You can express your own opinion when your turn comes. Mr. Narayanasamy, you continue.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Please do not interrupt him. Let him have his say. He is giving his own opinion.

SHRIMATI MARGARET ALVA: This is a Private Member's day. This is a private opinion.

THE VICE-CHAIRMAN (SMT. KAMLA SINHA): You kindly continue, Mr. Narayanasamy.

SHRI V. NARAYANASAMY: I am giving my individual opinion. ... (Interruptions) ... It is said that they may be elected by three-fourth majority of the Members of Parliament and the State Legislatures. It means for appointing Lokpals/Lokayuktas you want three-fourth Members of Parliament to vote. Why shouldn't there be a system? You bring in a Constitutional amendment. (In para-II) they say that a Constitutional provision can be enacted and a motion can be moved for taking action against the Minister. When you bring in a Lokpal Bill, a system and its modalities have to be worked out. Nobody is against the Lokpal Bill. Everybody welcomes it, but, Madam, since we are speaking on the Resolution, am referring to the contents of the Resolution. This Resolution is unfair. In this Resolution he says that it has been incorporated from the Constitution of the United States of America. The system of the United States of America cannot equate to the Indian system. They have Presidential form of Government there. We have the President, the Prime Minister and the Council of Ministers who are responsible to the people of this country. Therefore, Madam, we cannot incorporate the provisions of the American system in our system. For the feel, Madam, that there should a nation-wide debate. There should be acceptability. A procedure has to be evolved. Political leaders have to give their opinions and then we can sit together and discuss it. Everybody is

concerned about the corruption issue. They say that we have raised in this House the issue relating to black money that has been circulating in the society. It is a menace in our society which is totally destroying our planning system. Yes, we have raised this issue in the House. The other Members have also raised the issue relating to corruption, whether it is prevalent in the public sector or in the banks or in the administration. They have raised it and they have been raising it. And, therefore, Madam, by bringing this Bill alone, without improving the present system, it is highly impossible for us to achieve the purpose for which the Bill is brought. There are many legislations that we have brought. Some of them have become dead letters. We are not able to implement them because we brought them in a hurried manner and wanted to push through them and in that process they have become dead letters. It is a very sensitive legislation where the Government has to apply its mind and political leaders have to be taken into confidence. Only then can we evolve procedure through which a Bill has to be brought. Madam, in principle, though I agree to the issue relating to the Lokpal, I do not find any merit in the Resolution which has been brought by the hon. Member. Therefore, Madam, I do not support the Resolution.

श्री राम रतन राम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, श्री मोहम्मद मसूद खान साहब ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ।

महोदया, यह हमारे लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित है और लोकपाल की नियुक्ति इसलिए की जा रही है क्योंकि समाज में, शासन में, प्रशासन में, समाज के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोल-बाला हो रहा है। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल या प्रदेश में लोकयुक्त की नियुक्ति का प्रस्ताव है। उन्होंने लोकपाल या लोकयुक्त की स्थापना के लिए विधि को अधिनियमित करने की खातिर एक संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए

जाने की सिफारिश की है और लोकपाल के कार्य-क्षेत्र में सभी संस्थानों, जन-प्रतिनिधियों और सरकार के सभी पदों पर पदासीन अधिकारी होंगे। इसमें लोकपाल/लोकयुक्त को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह भ्रष्टाचारी के अपराधों और सत्ता के दुरुपयोग संबंधी कृत्यों की जांच कर सकेगा तथा दोषी व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकेगा।

मैडम, भ्रष्टाचार के मामले पर दूसरों की बुलाई देखने के लिए मुझे कबीर दास का एक दोहा याद आ रहा है:

“बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दीखा कोए,
जो दिल दूँछ आपना, तो मुझ स बुरा न कोए।”

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि देश के तीन अंग जो प्रशासन से संबंधित हैं वे हैं—न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। हम वहाँ संसद सदस्य विधायिक के रूप में बैठे हुए हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे पूर्व वक्तागण ने अपने ही दोष दूढ़ने की कोशिश की और जो कार्यपालिका और न्यायपालिका विभाग हैं, जिसमें भी भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, उस पर लोगों का ध्यान कम गया है। जहाँ तक लोकपाल की नियुक्ति का प्रश्न है, हमारी संसद देश की सर्वोच्च संस्था है तथा इसके सदस्य 90 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए ऐसी सर्वोच्च संस्था के सदस्यों के ऊपर के काम की निगरानी रखने के लिए लोकपाल की व्यवस्था की जाए तो यह बात गरिमावश नहीं लगती। लेकिन देश में जो भ्रष्टाचार, समाज में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको देखते हुए लोकपाल की नियुक्ति का औचित्य समझ में आता है।

आजादी से पहले देश में कुछ ऐसी संस्थाएँ थीं, ऐसे विभाग थे जिनको हम ईमानदार कहते थे — उनमें शिक्षा विभाग, डाक व तार विभाग और जुडिशियरी थे। इसके अलावा कुछ ऐसे विभाग थे जिन्हें बेईमान कहा जाता था जिनमें पुलिस, एक्साईज, पी० डब्ल्यू० डी० आदि थे। लेकिन आजादी के बाद ऐसा परिवर्तन आया कि जो ईमानदार विभाग थे उनमें बेईमानी तेजी से इतनी बढ़ गई कि वह जो पुणें बेईमान विभाग थे उनसे भी यह आगे बढ़ गए। जुडिशियरी में पहले बेइमान जब को दूढ़ना पड़ता था कि कोई बेइमान जब तो नहीं है। लेकिन अगर किसी ईमानदार जब की जरूरत पड़ती है तो उसको स्टेट में दूढ़ना पड़ता है। तो आज जुडिशियरी की यह स्थिति हो गई है। शिक्षा का तो कुछ कहना ही नहीं

है। जो शिक्षक हमारे देश की आजादी के लिए लड़े थे, जिन्होंने देश को दिशा दी, उसी शिक्षा विभाग में आज कितने विशाल पैमाने पर भ्रष्टाचार आ गया है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। उपसम्पाध्यक्ष महोदया, विधायिका की भांति देश के न्याय दिलाने में, गरीबों को राहत दिलाने में हमारे दूसरे विभागों का भी उतना ही बड़ा हाथ है। लेकिन जब जिला कचहरी की बार में बैठिए या हाई कोर्ट की बार में बैठिए, वहां वकीलों में जो बात होती है, दूसरे विभागों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको सुनकर गेंदें खड़े हो जाते हैं। उनके अनुसार अदालतों में, कचहरियों में तीन तरह के वकील हैं, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के हैं। फर्स्ट ग्रेड के वकील वे हैं जो अपना काम करते हैं मेहनत के साथ और आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ग्रेड के वे वकील हैं जो अफसर के रूप पर रुपया लेते हैं लेकिन जितना रुपया लेते हैं, उसका पेमेंट करते हैं। थर्ड ग्रेड के वकील वे हैं जो कि अफसर के नाम पर रुपया खाते हैं, अधिकांश रुपया खुद खा जाते हैं और कम रुपया अफसर को देते हैं या नहीं देते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की उपस्थिति यह ज़ाहिर करती है कि ज्यूडिशियरी में भी ऐसे अफसर उपस्थित हैं जो बगैर रुपया लिए काम नहीं करते हैं। और ऐसी मानसिकता चल पड़ी है कि जो अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं, वे कहते हैं कि कम्पीटीशन की मार्फत हम इस कुर्सी पर बैठने के लिए आए हैं। अगर किसी को काम करना हो तो रुपया दो और काम कराओ और ये मानसिकता वहां पर काम कर रही है जिसकी वजह से गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। भ्रष्टाचार की यहां पर चरण सीमा है। रुपया दीजिए और काम कराइए।

जहां तक महोदया विधायिका का प्रश्न है, हमारे बहुत सारे लोगों ने विधायिकाओं में या अपनी राजनीति में फैले भ्रष्टाचार के बारे में जिक्र किया है। आजादी के बाद जो हमारे कर्मठ नेता थे, उन्होंने अपना सर्वस्व ुर्जान किया। उनके अंदर ईमानदारी थी। डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद, पंडित जवाहर लाल नेहरू, एफि अहमद क़िदवाई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऐसी-ऐसी पर्सनैलिटीज थी जिन्होंने ईमानदारी को सबसे ऊपर रखा और यही ईमानदारी नेहरू की थी जो उनके अंत तक चलती रही। उसके बाद जो राजनीति में गिरफ्त आई और स्कैंडल पर स्कैंडल होते रहे, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन छोटी-छोटी बातों पर जैसा कि अभी जेनेरल मिश्र जी ने कहा था कि हम लोगों को चलने में शर्म आती

है। लोग कहते हैं, खर्दर का कुर्ता पहन कर कोई आदमी चलता है तो वे कहते हैं कि यह धूर्त जब रहा है। हम लोग अपने कर्मों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करते हैं। जनता के बीच में जाते हैं हम लोग, बेतहाशा खर्च करते हैं लेकिन जब भुगतान करने का समय आता है तो खुद न भुगतान करके, किसी दूसरे से भुगतान करने के लिए कहते हैं। करप्शन वहीं से स्टार्ट होता है। और नेता का यह पर्यायवाची बन गया है कि बेईमान होगा क्योंकि खर्च खुद करता है लेकिन भुगतान खुद नहीं करता, किसी और से भुगतान कराता है। यह है हमारे भ्रष्टाचार की जड़। आगे चल कर के उस चीज़ को पूरा करने के लिए दुनिया भर के हथकंडे अपनाए जाते हैं और इस समाज में भ्रष्टाचार की बात होती है। जहां तक नौकरशाही की बात है, नौकरशाही हमारी हर जगह जमी हुई है। झिले-झिले से लेकर, गांव से लेकर दिल्ली तक नौकरशाही व्याप्त है। वहां पर गरीबों का काम बगैर पैसे के नहीं होता है। जहां तक कि आप भी, अगर आप एम॰पी॰ से हट जाएं, नागरिक के तौर पर आ जाएं और अपना काम करने के लिए जाएं, अपने मकान का नक्शा पास करने के लिए जाएं या अपना लाइसेंस बनवाने के लिए जाएं तो देखेंगे कि आपको भी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वहां का कर्मचारी यह जानते हुए भी कि यह ऐक्स एम॰पी॰ है या ऐक्स अफसर है वह रुपया मांगने में नहीं हिचकता और बगैर रुपया लिए वह काम नहीं करता। इसलिए आवश्यक है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सुधार किया जाए और उस सुधार करने के लिए एक ऐसी आयोग की स्थापना हो जो इस बात को देखे कि जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा हो, वहां पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे, अपने अधिकार का प्रयोग करे और उस भ्रष्टाचार को वहीं पर रोके और जो भ्रष्टाचारी हो, उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का भी उसके पास अधिकार हो। इन शब्दों के साथ मैं मसूद खान जी की प्रस्तावना का अनुमोदन करते हुए सरकार से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर लोकपाल या लोकयुक्त नियुक्त करने के लिए दृढ़वाही करें। धन्यवाद।

*SHRI J.S. RAJU (Tamil Nadu):
Madam, Vice-Chairman, I rise to present my views on the private Member resolution brought in by Mr. Mohd. Masood Khan, which seeks to amend the Constitution for creating Lokpal and Lokayukta. Since I am speaking on corruption

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

that is rampant today and that I come from Tamilnadu, I wish to quote a few lines from a modern Tamil poem. An unemployed youth who had become dejected in life, at last got a job after paying bribe. Thereafter he wrote;

I paid Rs. fifty thousand as bribe.

And got a job in the anti-corruption department. This line only symbolises corruption in the society. This shows the hopeless situation which has thoroughly disappointed the youth.

Late Mr. Kamaraj while referring to corruption once said, "Father-in-law gives, son-in-law takes, what can anyone do about it". He also said that "corruption is prevalent throughout the world. What can I do about it?" Only now we understand the meaning of his remarks. He probably thought it was not possible to eradicate corruption and that was the outcome of an anguished heart. But I feel, one should have the function to check corruption. We should not be mute witness to evil events. It is with this feeling that the hon'ble Member has brought this resolution.

Several governments had tried to check corruption in high places by bringing Lokpal/Lokayukta Bills. Since Mr. Narayanasamy has referred to the history of it, I don't want to repeat it.

Hon'ble Member Chaturanan Miara said that all can't become saints. I think, probably, his intention was to say that politicians too are human beings and that they are not above board. In my view even this approach is not proper. Even today's saints are unlike those of ancient times. These days, saints live only in ultra modern bungalows with all possible luxuries. It is yet another story. That is why people have come to strongly believe that politicians and government officials are corrupt and invariably they take bribe. Of course, there are exceptions among politicians and officials who do not take bribe. But that is a microscopic minority

Such upright people are called as 'useless people' by the public. But such people are very few.

Madam, earlier hardly two or three persons used to seek party tickets for fighting election in each party. Only party workers, who had worked for the party, who had undergone imprisonment and who had sacrificed would seek tickets. But now hundreds of people seek tickets from each party for a single constituency. This is because they know that they can make their fortunes in five years. Some are confident of making it in just six months. When I asked some people as to why they are keen to fight election, they hunched back, "How long can I be like this? Should I not make my fortune?" People sell out their properties to fight election. Father-in-law finances son-in-law's election thinking he can amass wealth if his son-in-law becomes M.L.A. or Minister. Even wife is ready to dispose off her property to fund her husband's election. Such is the craze now. We should feel ashamed of this.

An unfortunate situation has developed in the country wherein the public feels that no work will be done in government offices unless you grease the palms of officials. Even officials feel as to why should they clear a file or sanction a loan unless they are given something in return. So ministers too want their share in the scheme of things. One has to pay bribe even for getting promotion and degrees from educational institutions. Students get more marks by paying bribe. There was a time when people thought it immoral to pay bribe. But now, they find it quite alright to pay and get the work done.

The Government launches various schemes like IRDP, Jeevan Dhara and Javahar Rojgar Yojna. But these schemes don't yield result because of corruption. If an honest officer is appointed to investigate the execution of these schemes, he would find that fund has been utilised for

digging up a well, but actually there would be no well. In many states, particularly in Tamilnadu, papers would show that they had dug up 24 yards, but in reality it would be just 10 yards. Because the funds are shared by many. For example, if Rs. thirty thousand is given by the centre for a scheme, Rs. fifteen thousand would be shared by the officials at all the levels. I can say this from the top of Mount Everest.

In the budgets and the five-year plan reports, you can say we dug up 900 wells and so on. But reality is different. What I say is the naked truth. Statistical figures can be used only to hide the facts. The ministers also close their eyes because, they are interested in their own share. If the government allocates 300 crore rupees, the ministers and officials fix their eyes only on the percentages of share they would receive. This is the situation today.

It is the people who have given powers to politicians — be it an M.L.A., M.P., ministers, Chief Ministers or the Prime Minister. But all of them misuse the power given to them. There was a Chief Minister who never declared his property in spite of several reminders by the officials. He

did not declare this even when he was an M.L.A. He could not have dared to show it. Even now there is a Chief Minister who receives just one rupee as salary. In 1989-90 the Chief Minister had no income. But now the annual income of the Chief Minister is 23 crore rupees. That is why this post has become very coveted. The office of the Prime Minister and Chief Minister are the most sought after these days. Politics has become such a fertile soil where crops grow without sowing. Public life is being demeaned in India. Some hon'ble Members referred to Mahatma Gandhi and Pt. Jawaharlal Nehru. I

would politely submit that we have no moral right to refer to them.

Madam, the vitapoint is, how to put an end to corruption? Some people think that corruption cannot be checked and that it will grow in dimension further. But I strongly feel that corruption can be checked. To do this, the party in power should have the political will. Politicians, officials and all those in public life should sincerely decide to check corruption. There is a way out for this. When politicians come to power, their property at that time should be accounted for. Later, when they demit office, the property disproportionate to the known sources of income should be taken over by the government. Then alone we can find answer to several questions like, how one can earn 50 lakh rupees in five years, how can a person own 10 to 20 buses in a short period and how can one own a mill so soon? Since ministers and officials are hand in gloves, no one exposes the other. We find lot of sky-crappers in big cities like Madras, Bombay, Delhi and Calcutta. Who have financed this? A farmer, a labourer or a small business man? No. It is all funded by politicians and bureaucrats. If this government holds the memory of Mahatmas in such esteem, why can't it seize such illegal properties and distribute it to people? To an extent, it is right to say that the attitude of the people must change. For this all the political parties should strive hard. Attitude can be changed only through propaganda. Enactment of a suitable legislation can also help check corruption. When our leader Dr. Kalam was in power, he brought such a

legislation in Tamilnadu. But the government that succeeded us repealed it. Like Mr. Mehta said, a law, like the one in the U.S.A. or Germany can be enacted in India. But far more, the need of the hour is, discipline, human feelings and sense of brotherhood. There is no use chanting national anthem and calling ourselves proud Indians. If we had felt our duties as citizens deep inside, this situation would not have arisen. There would have prevailed morality in public life. Therefore, this government should enact a law to check corruption in public life. The law can be in any form. That does not matter. What is important is the remedy. With these words I support the resolution.

श्री मूलचन्द मीणा (गजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदया, श्री मोहम्मद मसूद खान द्वारा जो संकल्प लोकपाल / लोकायुक्त की स्थापना के लिए लाया गया है, यह एक अच्छा संकल्प है, इसका तो मैं समर्थन करता हूँ लेकिन मुझे अफसोस है कि आजादी के 47 साल बाद लोकपाल की स्थापना की आवश्यकता देश के अन्दर पड़ी। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले दीवानों ने कभी नहीं सोचा था कि देश आजाद होने के बाद देश में इस प्रकार का भ्रष्टाचार, अनाचार फैलेगा जिससे देश की आजादी, आम लोगों की सुरक्षा ही खतरे में हो जाएगी। इस बात की उन्होंने कभी सोच ही नहीं की थी। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले दीवाने अपने आपको अपने परिवार को छोड़ते हुए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ते हुए, आजादी की लड़ाई में कूदे। आजादी की लड़ाई के लिए फाँसी के तख्तों पर चढ़े। देश की आजादी के लिए उन्होंने जेलों में अपना जीवन निकाला। लेकिन 47 साल के बाद हम जैसे संसद सदस्य इन जैसे लोग इस देश के अंदर रहे कि आज लोकपाल की स्थापना की जरूरत इसलिए आवश्यक हो गई कि हर जगह हर स्थान पर भ्रष्टाचार को एक शिष्टाचार का रूप देखने को मिलता है। इस देश के अंदर कहीं भी जाएं। किसी भी विभाग के अंदर बात करें, नीचे छोटे कर्मचारियों की बात करें या देश के नेतृत्व जिन लोगों के

हाथ में है उनकी बात करें तो भ्रष्टाचार की बढबू सब जगह दिखाई देती है, सब जगह महसूस होती है। जिस भावना से इस विधेयक को लाया गया है इसकी भावना अच्छी है और यह विधेयक सरकार को लाना चाहिए क्योंकि लोकपाल की आवश्यकता है। इस देश के अंदर जब लोकतंत्र की स्थापना की गई थी तो संसद और कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना हुई। लेकिन आज इन तीनों ही जगह, तीनों ही संस्थाओं पर भ्रष्टाचार का कुछ, भ्रष्टाचार में लिप्त होना संदिग्ध तीनों संस्थाओं के ऊपर जाता है, आज भ्रष्टाचार में इन तीनों संस्थाओं के कुछ लोग, मैं यह नहीं कहता कि सारे लोग ही लिप्त हों, लेकिन कुछ लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चाहे न्यायपालिका के अंदर जाएं, चाहे हम कार्यपालिका की बात करें, चाहे संसद की बात करें संसद के अंदर जो नहीं होना चाहिए। देश की जनता भी कुछ ऐसे मनचले लोगों को जो लोग आज सब से ज्यादा करपशन का काम करें। सबसे ज्यादा अपराध करें, सब भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, हत्याओं में लिप्त रहे, जो अनुशासनहीन रहे, ऐसे लोगों को भी संसद में भेज देते हैं। उदाहरण के तौर पर इस संसद में राज्य सभा के अंदर तो नहीं होंगे, लेकिन लोक सभा के अंदर हम देखें तो हमको दस, पांच परसेंट तो ऐसे लोग होंगे जो अपराध में लिप्त हैं।... (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माधुर: आप भी पहले लोक सभा में थे।

श्री मूलचन्द मीणा: इस हाउस के लिए तो अपराधियों को कम संरक्षण दिया जाता है, अपराधी प्रवृत्ति के कम लोग दिखाई देते हैं, लेकिन लोक सभा के अंदर 10 और 15 परसेंट लोग ऐसे हैं जो अपराधों में लिप्त हैं।

मैडम, मैं ने पूर्व में भी यह कहा था कि संसद के भीतर हम लोग जोकि सांसद और विभिन्न पार्टियों के नेता भी आज ऐसे हो गए कि इस भ्रष्टाचार पर अंकुश न रखकर हमने उन आजादी के दीवानों की आशाओं और इच्छाओं को मिट दिया। उनकी जो भावना थी, उस की ओर ध्यान नहीं दिया और हम भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए कि हर स्थान पर हम को भ्रष्टाचार दिखायी देने लगा।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं यह कह रहा था कि संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन तीनों ही स्तरों पर भ्रष्टाचार धीरे-धीरे भर कर रहा है और भ्रष्टाचार में लिप्त

आपको कुछ विभागों का उदाहरण देना चाहूंगा कि यहां एक परसेंटेज है, प्रशासन के इस रूप को एक ईमानदारी का रूप बना रखा है। जैसे आज हम एग्रीगेशन डिपार्टमेंट को लें, चाहे सी-पी-डब्ल्यू-डी को लें, चाहे पी-डब्ल्यू-डी को लें या विजिलेंस विभाग को लें या पी-एच-एन को लें या वाटर पर्स को लें, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जाएं तो वहां के जे-एफ, ए-एफ, एक्स-एफ-एन, चीफ इंजीनियर, सबका परसेंटेज बना हुआ है और उसकी ईमानदारी का रूप दिया जाता है। इन अधिकारियों का 25 परसेंट होता है, जिसमें चीफ इंजीनियर तक है। तो ये लोकपाल और लोक आयुक्त का अधिकार हो, उसके अंदर इन अधिकारियों को भी लिया जाये क्योंकि अगर किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत करते हैं तो उनकी के अधिकारियों को ही ली जाती है और वही अधिकारी उसकी जांच करते हैं और उनका खर्च सब को उस कमीशन के अंदर परसेंटेज होता है। उस 25 परसेंट में चीफ इंजीनियर तक भी आ जाते हैं। तो फिर जितनी भी उसी प्रकार की होती है और बीच में लिफ्ट अधिकारी जो परसेंटेज खाता है या प्रशासकी करता है उसको भी लिया जाता है। उनकी जांच के लिए भी विभाग से अलग का अधिकारी होना चाहिए। मैडम, मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक संसद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक करोड़ रुपये की योजना प्रारंभ की है। मैंने जे-एफ के एस्टीमेट के अनुसार एक गांव के अंदर एक सेक्टेण्डरी स्कूल में पांच कमरे बनाने के लिए 3 लाख 99 हजार रुपये अपने कोटे से दिए।....(व्यवधान)...

SHRI G. G. SWELL (Meghalaya). Madam, normally we do not sit so long for Private Members' Business. We consider this Resolution so important that we have been sitting here. We would like to know what the Government view is on this matter. And, if necessary, we can take the vote today. (Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): There are a few speakers ... (Interruptions)...

श्री मूलचन्द्र मीणा: मेरी बात तो पूरी हो जाए उसके बाद अपनी बात रखिए।(व्यवधान).... सही बात तो आप सुनना नहीं चाहते और लोकपाल विधेयक लाना चाहते हैं। अगर मेरी बात तो सुनिए।(व्यवधान)....

श्री चिमनभाई मेहता: गवर्नमेंट का रेस्पोंस नहीं मिलेगा, आज यह लास्ट डे है जिसकाशन के लिए।

श्री मूलचन्द्र मीणा: लास्ट डे है तो अगली बार रेस्पोंस मिल जाएगा।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): मीणा जी, आप अपनी बात कहिए।

श्री मूलचन्द्र मीणा: मैडम, बीच बीच में रुकते जाते हैं।(व्यवधान)....

श्री चतुरानन मिश्र: आज यह बैठिए, मीणा जी। आप अपनी बात चलाइए। अभी तो एक डिपार्टमेंट पर आए हैं।(व्यवधान)....

श्री मूलचन्द्र मीणा: मैडम, मैं वह कह रहा था कि मैंने संसद का जो कोटा है, उसमें से 3 लाख 99 हजार रुपये दिए और एक दूसरे गांव के अंदर भी पांच कमरों के हिसाब से मैंने 3 लाख 99 हजार रुपये अपने कोटे से दिए तो उसके निर्माण के लिए गांव के लोगों ने कहा कि इनका निर्माण हमारी एक कमेटी करेगी और उन्होंने किया। तो जो पी-डब्ल्यू-डी डिपार्टमेंट के माध्यम से निर्माण कार्य किया गया और जो गांव की कमेटी ने किया, उसमें गांव की कमेटी ने उस पैसे से खाल कमरे और बरामदे बना दिए... और पी-डब्ल्यू-डी ने जो काम किया, उसने 5 कमरे और बरामदे बनाए और दो कमरों तथा बरामदे का जो पैसा था वह पी-डब्ल्यू-डी के कर्मचारियों की कमीशन में चला गया। मैंने उसके बाद कलेक्टर से कहा कि हमारी ओंखों के सामने प्रशासन हो रहा है। कलेक्टर ने उस बात को देखा, पी-डब्ल्यू-डी के अधिकारियों को बुलाया और उनके लिस्टफ कार्रवाई करने के लिए कहा और उसका एस्टीमेट 3,20,000 रुपये का पास किया। हमारे सामने प्रशासन की लंबाई होती है तो हम देखते हैं कि नीचे का प्रशासन चरम सीमा तक पहुंच चुका है। इसको मिटाने के लिए आज अगर हम लोकपाल की स्थापना कर दें तो उससे क्या प्रशासन मिट जाएगा या वह वहीं जैसा ऐसी बात नहीं है। हम प्रशासन के उदाहरण जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि होम डिपार्टमेंट, पुलिस आदि, जिसके द्वारा हम रखा की बात करते हैं कि इसके द्वारा क्या क्या किया होगा, वहां पुलिस के सिपाही से लेकर राजस्व तक सब से निरवत मिल सके, कहां से पैसा मिल सके, फिस्कल में कुछ से, जो पुलिस का खेता स्थल है, इन्फार्म तक कर, यह सब से शायद तक परसेंट फिस्कल में रहता है कि कैसे किसी की जेब में तो पैसा गिराया जाए, जैसे

होने के कारण आज जो सामाजिक और संवैधानिक कानून है, उन का उल्लंघन भी हो रहा है। मैडम, आज से 4-5 वर्ष पूर्व जब कि मैं राज्य सभा में नहीं आया था, उस समय की एक बात आप को बताता हूँ। एक स्वतंत्रता सेनानी एक बस में यात्रा कर रहे थे। मैं पिछले बस स्टॉप से बस में चढ़ा और वह अगले स्टॉप से चढ़े कंडक्टर खुद सीट पर बैठ था, लेकिन वह सीट से नहीं उठा। थोड़ी देर में एक और आदमी चढ़ा। उसने 6 रुपये किराए के बदले कंडक्टर को 7 रुपये रुपए दिये। कंडक्टर ने उन्हें जेब में रख लिया और उस आदमी को सीट पर बिठा दिया। मैं ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने अपना कार्ड दिखाया तो मुझे बेहद अफसोस हुआ। मुझे ख्याल आया कि जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए जेल में यातनाएं झेली, देश की आजादी की खातिर अपने आप को नौछावर कर दिया, उन की देश के प्रति क्या भावना थी? दुर्भाग्य इस देश का कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को आज बस में बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। उस कंडक्टर ने केवल 7 रुपए की खातिर उन को सीट नहीं दी। हम उन्हें इतना भी सम्मान नहीं दे पाए। आज भी मुझे उस बात का बेहत दुख होता है कि 47 वर्ष बाद देश उन स्वतंत्रता के सेनानियों को क्या दे पाया है?

उपसभाध्यक्ष (श्री कमला सिन्हा): मीणा जी, आप उस बस में मौजूद थे, आपने कुछ नहीं कहा?

श्री मूलचन्द मीणा: मैंने कंडक्टर को कहा कि आप ने 7 रुपए की खातिर एक स्वतंत्रता सेनानी का अपमान कर दिया जिन्होंने कि अपनी इच्छा से जेलों में यातनाएं सहें।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आप एम०पी० थे उस समय?

श्री मूलचन्द मीणा: मैं एम०पी० नहीं था।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): खैर, ठीक है।

श्री संघ प्रिय गौतम: आप एम०पी० होते तो सीट छोड़ देते? मैं बस वाली बात कर रहा हूँ।

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): Madam....(Interruptions)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Let him finish. Please sit down.....(Interruptions)....

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: I want to make a point of procedure. Today is the last day for this discussion and this Resolution will lapse. It cannot be carried on to the next Session. We want to know the Minister's response. Madam, you can request the Members, but I cannot. to cut short the speech, Let the Minister intervene if he desires and Members can speak. That is a different matter. Ultimately, we should know the Government's viewpoint.

श्री मूलचन्द मीणा: मैं मेहता जी को बताना चाहता हूँ कि लोकपाल विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी। अभी तो मैं भूमिका ही बना रहा हूँ। मैं आगे तो बढ़ा ही नहीं हूँ।

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Minister's response is well-known.

श्री मूलचन्द मीणा: मैडम, मैं यह कह रहा था कि लोकपाल की आवश्यकता है। उन आजादी के दीवानों की भावनाओं के अनुसार तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इस देश में इस की आवश्यकता बहुत जल्दी हुई। आज से करीब 20 साल पहले गांवों के अंदर यह चर्चा हुआ करती थी।

आज से करीब बीस साल पहले गांव के अंदर यह चर्चा हुआ करती थी कर्मचारियों के बारे में फलाने तहसीलदार या एस०डी०ओ० या पटवारी भ्रष्ट है या करए है या रिश्वत खाता है, लेकिन आज देखने को उल्टा मिलता है, आज गांव में चर्चा होती है कि वह एक आपसीर ईमानदार होगा। पहले एक आदमी के भ्रष्ट होने की बात होती थी और आज एक जो आम चर्चा होती है, वह यह कि मुश्किल से एक आदमी के ऊपर उंगली जाती है कि वह आदमी ईमानदार है।

मैडम, यह एक परिवर्तन हुआ है। आज भ्रष्टाचार आम चरम सीमा पर पहुंच चुका है और इसलिए लोकपाल की आवश्यकता तो जरूरी है, लेकिन इसकी सीमा के अंदर कौन-कौन आए, कौन-कौन इसके प्राधिकार के अंदर आए, विचारणीय है। इसमें राज्य का मंत्रिमंडल हो, राज्य का मुख्यमंत्री हो, केन्द्र सरकार का मंत्रिमंडल हो, प्रधानमंत्री हो और साथ ही केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी हों क्योंकि आज किसी भी विभाग के अंदर हम जाएं तो पाएंगे भ्रष्टाचार है। मैं

पैसा लिया जाए। यहाँ तक कि पुलिस विभाग के अंदर यदि किसी का झगड़ा भी हो जाता है तो पुलिस विभाग, जो झगड़ा करने वाला है, जो रिपोर्ट करने वाला है और जिसके खिलाफ रिपोर्ट होती है, दोनों से भ्रष्टाचार के रूप में पैसा लेता है जब कि उन्हें कानून के अनुसार काम करना चाहिए। तो पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के कारण इस विभाग द्वारा लोगों की सुरक्षा न होकर, लोग हाजिराई होते हैं, लोगों को न्याय नहीं मिलता है।

श्रीमती सारंगदेव आरुखा: जरा जल्दी बोल दीजिए।

मेरे विभागवादी मेहता: जल्दी खत्म कर दीजिए नहीं तो फिर वे रिसांस नहीं कर पाएंगी, उनको जवाब देने का समय नहीं मिल पाएगा।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): मैंने कहा है उनको खत्म करने के लिए। (व्यवधान)...

श्री मूलचन्द पीणा: मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी खत्म हो जाए।

मैडम, मैं यह बता रहा था कि केन्द्र सरकार की योजनाएँ जिले के अंदर हैं, टी-आर-डी-ए एक डिपार्टमेंट है जिसमें आई-अर-डी-पी, अवधारणा लेवेल योजना जोड़ने द्वारा आई कोनार है। मुझे आज इस बात को कहने पर बड़ा फस है कि इस देश के मूलभूत प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि देश के अंदर हम केन्द्र सरकार से जो पैसा भेजते हैं और यदि 100 रुपए भेजते हैं तो केवल 15 रुपए ही गांव में जाकर खर्च होते हैं, 85 रुपए बीच में ही खर्च हो जाते हैं, बीच में ही लोग काबू लेते हैं। भ्रष्टाचार की इस गति को देखकर मैं सारे माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि लोकपाल की स्थापना हो तो लेकिन साथ ही एक देश एकोई इस देश के अंदर काम की जाए कि जो नीचे के स्तर पर भ्रष्टाचार है, ऊपर के स्तर के भ्रष्टाचार को तो हम लोकपाल की स्थापना करके समाप्त कर देंगे, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन जब तक हम नीचे के स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उसको नहीं मिटाएंगे, नीचे के आदमी के मन में जो भ्रष्टाचार का रूप ले चुका है, उसको तब तक हम नहीं खत्म कर पाएंगे, जब तक हमारे लोकपाल की स्थापना करने का कोई प्रयत्न ही नहीं हो जाता है। और तो और मैडम, शिक्षा विभाग में भी भ्रष्टाचार आज देखने को मिलता है।

... (व्यवधान)

आपका एक ही उद्देश्य है कि लोकपाल सिधे पर कोई बोले नहीं तथा जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका बखाना न करे। अगर आप यही सोचते हैं तो मैं नहीं बोलता हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि आज शिक्षा के अंदर भी जहाँ गुरु और शिष्य का संबंध हुआ करता था, आज उस शिक्षा के अंदर गुरु-शिष्य का संबंध नहीं होकर वहाँ एक भ्रष्टाचार का रूप लिया हुआ है। पहले एडमिशन के अंदर, कहीं प्रवेश नहीं मिलता पै और अगर प्रवेश मिलता है तो उसमें भी रिश्वत ली जाती है। गुरु शिक्षा देता है लेकिन आज गुरु शिक्षा स्कूल में लें देकर बाह्य घर में दृष्टान्त करते हैं। जो संस्था हमारे देश के अंदर पवित्र थी, उसको इस भ्रष्टाचार ने अपवित्र कर दिया है। इसलिए अकेले लोकपाल की बात करने से इससे काम चलने वाला नहीं है तथा देश से भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है — अगर लोकपाल की स्थापना हो जाए, खरू का डंडा घूम जाए और देश के अंदर भ्रष्टाचार मिट जाए। लेकिन आज संसद और विधान सभाएं भी इससे मजबूती नहीं हैं, इसके सदस्य भी अफसूस नहीं हैं। किस समय कोई व्यक्ति संसद सदस्य बने या विधान सभा का सदस्य बने तो उस समय उनसे उनका पूँजी को, सम्पत्ति की घोषणा उनसे कठिनी चाहिए कि इस समय इनके पास इतनी पूँजी है। लेकिन आज संसद सदस्य और विधान सभा का सदस्य बनने के बाद उनका क्या स्थिति होती है? वो आई-ए-एल और आई-पी-एल है, तथा इनमें से कुछ गरीब घर के लोग होते हैं तथा जबकि उनकी कमाई बहुत हजार रुपए मिलती है लेकिन उनका महीने का का खर्च पचास हजार का है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): पीणा जी, आप संकेत करें, एक मिनट में समाप्त करें।

THE LEADER OF OPPOSITION
(SHRI SIKANDER BAKHT): Is there
no time-limit?

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: It
is too much.

श्री मूलचन्द पीणा: कोशिश कर रहा हूँ कि आप पर जो प्रतिबंध लगाने की बात है, इसमें तो राजनीतिज्ञों को बचाना किताब जाता है। इस भ्रष्टाचार को व्याप्त रूप देने में मिला इन कर्मचारियों और बड़े अधिकारियों का हाथ है, इसलिए सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि जो भी बड़े अधिकारी हैं उसकी जांच कराई जाए कि उनके पास इतनी सम्पत्ति कहाँ से आई। पचास हजार रुपए महीने का उनका खर्च है, पचास हजार रुपए

पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। उनके बच्चे एग्जैम्पल हैं, उनकी मीठी और बच्चे बूझने जाएं। इस प्रकार उनका हाथ से प्यार उनका चर्चा हो और फिर भी वे ईमानदार बने रहें। जबकि एजेंसियों के ऊपर चाहे वह उच्चाधिकारियों द्वारा किया गया घोटाला हो या उच्चाधिकारियों द्वारा किया गया भ्रष्टाचार हो उसकी सीपपोली करके एजेंसियों का नाम ले लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि लोकपाल की स्थापना से काम चलने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमें शक्तिशाली कानून बनाना चाहिये। (ध्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा: श्री मोहम्मद सलीम दो मिनट में आप अपनी बात कह दीविए।

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल): मैडम, जो संकल्प मोहम्मद मसूद खान साहब द्वारा यहां 24 मार्च को प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस संकल्प में कहा गया है कि व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिये। यहां सरकार का यह आश्वासन भी था और कई बार इस बात पर चर्चा हो चुकी है और इतने सारे वक्ता इस पर बोल भी चुके हैं। भ्रष्टाचार के बारे में भी चर्चा हो चुकी है। मीणा जी भी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते गए। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप हमारे यहां कुछ ऐसा प्रबंध करें और इसके लिए लोकपाल/लोकयुक्त हों और इसमें मशवरा दिया गया है कि किस तरह से विधेयक होना चाहिये, उसका प्राधिकार क्या होना चाहिये। मैं समझता हूँ कि यह सही होगा कि मंत्री जी, सरकार की तरफ से जो वक्तव्य है, वह प्रस्तुत करते हुए यह कहें कि वह लोकपाल बिल ला रहे हैं ताकि पूरे सदन का जो माहौल बना है और सब लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उसके अनुरूप मिले और जो भ्रष्टाचार है, उसको समाप्त करने के लिए हम ऊपर से कुछ ऐसे उपाय करें, माहौल पैदा करें कि हम उसको रोकने के लिए सीरियस हैं। धन्यवाद।

SHRI JAGMOHAN (Nominated): Madam, I will make up for my friends I will be very brief. The only point which I want to make is that the scale of corruption was small in 1961 when all these institutions like the CBI, the Revenue Intelligence the FERA etc. were being established. The amount of black money in the country was five per

cent of the national income according to scientific studies made. It was not hazardous. But after thirty years when all these institutions were there to check corruption the scale of black money is sixty per cent of the national income. You can just imagine that these institutions have failed to curb the corruption. This is the basic issue that we should consider.

I have been hearing that there is corruption everywhere from top to bottom. This country is saturated with corruption. There are moral ways of dealing with it. There is the moral and cultural issue. That, of course, is a general issue which we, as a nation, have to deal with. I have always been stressing the importance of the cultural and social ethos. But, so far as administrative measures are concerned, my experience is that, if there is a political will, you can stop corruption. If there is political honesty, no bureaucrat, in general, will be dishonest. He cannot afford to be dishonest. Only a marginal dishonesty will take place because that is part of human nature. Corruption is there because at the top there is 50:50 nexus. You help me, and I will help you. This happens only when the political element is not discharging its duties in an honest and conscientious way. If there is political honesty, bureaucratic corruption can be finished in no time, in my view. This is what we are missing.

The other point is that there is so much of indiscipline in the nation. These days, no officer gives a bad report to his subordinates. Even if someone is corrupt, the officer will not dare to write that one is corrupt because it will mean an invitation to an enquiry against the officer himself because all corrupt elements will join together and start complaining against the officer. Therefore, this is the larger issue involved in it. It is absolutely necessary that a Lokpal should be there so that

political corruption can be ended. Political elements can always order action against bureaucrats because they are the real rulers. So, how can you blame bureaucrats? Either you do not do your duty properly or you are not keen to do it. Therefore, all these scandals have been there. In fact, in recent times—I don't want to take sides—the CBI and other institutions have been used to obstruct the course of inquiries rather than to discover the truth. I know that they have been used and that they have been pressurised. There are a lot of honest officers who would have discovered the truth by now, but they have not been allowed to discover the truth. Some people who are willing to be tools, are put on the job. So, this is the truth, and this is the reality about it. Therefore, I support the Resolution.

I have got several other points, but I do not want to take more time. I will give only one little quotation. This is the opinion of a well-known social scientist. He says:

"When democracy becomes corrupt, the best gravitates to the bottom, the worst floats at the top and the vile is replaced by more vile. A vicious circle"

क्योंकि जैसे गंदगी ऊपर आती है झाग की तरह, वह वैसे ऊपर आ जाएगी।

"When this vicious circle starts, you will never be able to end it."

So, let us make a beginning.

So far as the larger issue, the cultural and social issue, is concerned, it has to be taken up. Value-based education has to be given, but, what we see is that on the television you are raising the aspirations of the people. You are making them consumerist-oriented. You want to earn more. When they want to have more and more, they will naturally be corrupt because they want to have more money. So, this is the issue.

I don't want to take more time. I support this Resolution.

Thank you very much.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): मैडम, मैं भी ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और मैं सरकार के विचार इस पर जानना चाहता हूँ। मोहम्मद मसूद खां साहब ने जो यह संकल्प प्रस्तुत किया है, इस संकल्प का मैं ज़ोरदार समर्थन करता हूँ। लेकिन, मेरी राय में, इसमें एक बात छूट गयी है और मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद मसूद खां साहब जब खड़े हों तो वे मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लें, जिसमें उन्होंने कहा—पैराग्राफ 1, क्लॉज 1 में कहा गया है कि:

"It should cover all the Ministers, representatives of the people and Officers of the Government at various levels."

तो इसमें आल मिनिस्टर्स से पहले या बाद में, इनक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इनको कर देना चाहिए क्योंकि इनके संकल्प में, लगता है कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इससे बरी कर दिया है या वे भूल गए हैं या किसी तरह से यह गलती हो गयी है। मैं चाहूंगा कि ये इसको स्वीकार कर लें।

श्री वी० नारायणसामी (पांडीचेरी): चीफ मिनिस्टर जी।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): इसमें चीफ मिनिस्टर रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेगा, सब लोग रहेंगे। इस देश में भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन का एक अंग बन गया है और राजनेताओं और अधिकारियों पर ऐसे आरोप लगे हैं। मैं इस बारे में कोई व्याख्यान नहीं करता, मैं इसके विवरण में नहीं जाना चाहता। मैं मसूद साहब के इस संकल्प का समर्थन करते हुए सरकार से मांग करता हूँ—संसदीय कार्य मंत्री फाइल देख रही हैं, मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आप सदन में खड़ी होकर घोषणा करें कि आने वाले अगले सत्र में आप इस तरह का विधेयक इस सदन में प्रस्तुत करेंगे। अभी जब श्री नारायणसामी बोल रहे थे भीणा जी बोल रहे थे तो सब सहमत थे कि लोकपाल विधेयक पास किया जाए लेकिन ये जबान से बोलते हैं कर्म से नहीं बोलते। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि सरकार सदन को इस बात का आश्वासन दे कि आने वाले सत्र में इस तरह का विधेयक आएगा और वह पास किया जाएगा।

4 [شری و میر فیروز لٹاریہ پنجاب]
والی جیسے میں صاحب - میں صرف ۵
منٹ کیلئے اپنی بات آگے ماننے لگتا

چاہا میوں۔ جو بل جناب مسکو وصال
 صاف نے پیش کیا ہے۔ میرا خیال ہے
 کہ کوئی ذریعہ پیش اس کے متعلق ہو
 رہا ہے نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سہارا
 ہیں ہماری پالیسی سے کمر بستہ رہنا
 ہے۔ اس کے متعلق جو آدمی حق و راستہ کو
 حواس و آفاق ہے۔ جس کے اندر سوجھ بوجھ
 ہے۔ وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا
 ہندوستان میں آزادی کی نرا الی ولہی
 گئی تھی وہ ایسا کہ ہندوستان کے جو پہلے
 ہوئے لوگ ہیں۔ ہندوستان کے جو بھگت
 ہوئے لوگ ہیں۔ ان کی قسمت میں بدل
 رامت آئے۔ ہندوستان میں بہت
 دولت پیدا ہوئی ہے۔ بہت پروانچ
 ہوتا ہے۔ بہت پیداوار ہوتی ہے۔ لیکن
 اس وقت آزادی سے پہلے ہماری
 دولت سمیٹ کر جو ہمارے آفاق۔ جو ملک
 حاکم تھے۔ انگریز۔ وہ ملک میوے
 جاتے تھے۔ اور ان ملک کی ترقی کے
 لیے اس ملک کو اور ان کے علاقے کے لیے
 اپنے ملک کا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کر کے
 یہاں کی ساری دولت کا۔ یہاں
 کچھ مال کا استعمال کرتے تھے۔ ہندوستان
 کے روبرو ان لوگوں نے بہت جدوجہد
 کی اور بہت بھائی کے ٹھنڈے کر دیے۔

لو جوان جیلوں میں لائے۔ وہ جوان
تھے اور جب وہ جیلوں سے واپس آئے
تو سرکھائے کا عالم ان پر تھا۔ بہت گولیوں کی
کے مرنے تک لے گئے تھے۔

تو یہ ساری جو جانتے ہیں، وہ صرف ان کے لیے
کی ایک ہی بات ہے، یہاں تک کہ جو
کو ہک حاصل ہے، جس میں دوسرے
اور سماجی، اقتصادی اور سیاسی
ہم ملے ہیں۔ لیکن جو اقتصادی
میں ہے آج بھی وہی ہے۔ آج
(بھی)

† [شری ویننڈر لٹا ایم: جاری]
تو یہ ساری جو باتیں ہیں وہ صرف
لیڈر ہیں۔ لیڈر نہیں ہیں۔ ایسا
جو جس سے کوئی حاصل ہو۔ جس
دولت کے لیے ہے اور سماج کے
اور بالکل آزاد ہے۔ تو یہی
جو آج تک وہی ہے۔ وہی
بھی ہے۔ آج بہت گولیوں کی
"مداخلت"

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Let
the Minister reply.

† [شری ویننڈر لٹا ایم: جاری]
تو یہ ساری جو باتیں ہیں وہ صرف
لیڈر ہیں۔ لیڈر نہیں ہیں۔ ایسا
جو جس سے کوئی حاصل ہو۔ جس
دولت کے لیے ہے اور سماج کے
اور بالکل آزاد ہے۔ تو یہی
جو آج تک وہی ہے۔ وہی
بھی ہے۔ آج بہت گولیوں کی
"مداخلت"

† [شری ویننڈر لٹا ایم: جاری]
تو یہ ساری جو باتیں ہیں وہ صرف
لیڈر ہیں۔ لیڈر نہیں ہیں۔ ایسا
جو جس سے کوئی حاصل ہو۔ جس
دولت کے لیے ہے اور سماج کے
اور بالکل آزاد ہے۔ تو یہی
جو آج تک وہی ہے۔ وہی
بھی ہے۔ آج بہت گولیوں کی
"مداخلت"

SHRI MD. SALIM: Madam, when we
took up the private Members' Business
(Resolutions) at 2.40 P.M., our hon.
friend, Mr. Jagesh Desai, also said that
we had lost ten minutes on account of
other business and we should continue up
to 5.10 P.M. I also want that we should
continue with Private Members' Business
till 5.10 P.M.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: We
will continue till the Minister's reply.

† [شری ویننڈر لٹا ایم: جاری]
تو یہ ساری جو باتیں ہیں وہ صرف
لیڈر ہیں۔ لیڈر نہیں ہیں۔ ایسا
جو جس سے کوئی حاصل ہو۔ جس
دولت کے لیے ہے اور سماج کے
اور بالکل آزاد ہے۔ تو یہی
جو آج تک وہی ہے۔ وہی
بھی ہے۔ آج بہت گولیوں کی
"مداخلت"

† [شری ویننڈر لٹا ایم: جاری]
تو یہ ساری جو باتیں ہیں وہ صرف
لیڈر ہیں۔ لیڈر نہیں ہیں۔ ایسا
جو جس سے کوئی حاصل ہو۔ جس
دولت کے لیے ہے اور سماج کے
اور بالکل آزاد ہے۔ تو یہی
جو آج تک وہی ہے۔ وہی
بھی ہے۔ آج بہت گولیوں کی
"مداخلت"

† [شری ویننڈر لٹا ایم: جاری]
تو یہ ساری جو باتیں ہیں وہ صرف
لیڈر ہیں۔ لیڈر نہیں ہیں۔ ایسا
جو جس سے کوئی حاصل ہو۔ جس
دولت کے لیے ہے اور سماج کے
اور بالکل آزاد ہے۔ تو یہی
جو آج تک وہی ہے۔ وہی
بھی ہے۔ آج بہت گولیوں کی
"مداخلت"

† [شری ویننڈر لٹا ایم: جاری]
تو یہ ساری جو باتیں ہیں وہ صرف
لیڈر ہیں۔ لیڈر نہیں ہیں۔ ایسا
جو جس سے کوئی حاصل ہو۔ جس
دولت کے لیے ہے اور سماج کے
اور بالکل آزاد ہے۔ تو یہی
جو آج تک وہی ہے۔ وہی
بھی ہے۔ آج بہت گولیوں کی
"مداخلت"

† [شری ویننڈر لٹا ایم: جاری]
تو یہ ساری جو باتیں ہیں وہ صرف
لیڈر ہیں۔ لیڈر نہیں ہیں۔ ایسا
جو جس سے کوئی حاصل ہو۔ جس
دولت کے لیے ہے اور سماج کے
اور بالکل آزاد ہے۔ تو یہی
جو آج تک وہی ہے۔ وہی
بھی ہے۔ آج بہت گولیوں کی
"مداخلت"

श्री वीरेन्द्र कटारिया: मेडम, मैं जो मसूदा खान साहब ने संकल्प पेश किया है, उसकी हिमायत करता हूँ। एक नेक और अच्छी बात उन्होंने देश की पार्लियामेंट में रखी है, उस पर गौर करना चाहिये। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हिन्दुस्तान में बहुत से कानून बने हैं और कई जगह लोकपाल बिल पास किये हैं। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ कि जहाँ किसी भी स्टेट में लोकपाल बिल पास हुए हैं कर्प्शन के खिलाफ जो हमारे समाज को खाए जा रही है वहाँ पर क्या कोई तबदीली आई है?

[उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) पीठासीन हुए]

मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। जब तक हिन्दुस्तान के आवागम इस बुरा आदत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए खड़े नहीं होंगे, जिस मुल्क में, जिस समाज में पब्लिक ओपीनियन की चाबुक नहीं है, वहाँ पर यह कानून बेशक बना दिया जाए लेकिन पब्लिक ओपीनियन के चाबुक के बगैर आप इस बुरी आदत को जो समाज को कैसर की तरह खाए जा रही है, रोक नहीं सकेंगे। इन लफ्जों के साथ मैं जहाँ खान साहब की पूरी हिमायत करता हूँ वहाँ हाऊस और सब साथियों से इस बात की त्वक़ो करता हूँ कि हम आपने मुल्क में ऐसी पब्लिक ओपीनियन कायम करें। जो आदमी कर्प्शन में इनडल्ज करता है, पहले जो लोग इनडल्ज करते थे, सगलर थे, वह समाज में बड़े आदमी हो सकते थे, धनवान हो सकते थे लेकिन समाज में उनको कोई इज्जत हसिल नहीं थी।

+ [श्री वीरेन्द्र कटारिया: मेडम]
मैं जो मसूदा खान साहब ने पेश
किया है, उसकी हिमायत करता हूँ।
लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ।
हिन्दुस्तान में बहुत से कानून बने हैं और
कई जगह लोकपाल बिल पास किये हैं। मैं
सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ कि जहाँ किसी
भी स्टेट में लोकपाल बिल पास हुए हैं कर्प्शन
के खिलाफ जो हमारे समाज को खाए जा रही
है वहाँ पर क्या कोई तबदीली आई है?

بہت سے قانون بنے ہیں اور یہی کہ
کوئی پال ہل یا اس کے میں۔ میں
یہ جو ماسودا خان
ساحب نے سنکالپ میں کہہ
میں اس کے میں کوئی پال ہل یا اس
میں کہہ میں نے فلاں
ہمارے سماج کو کھانے جا رہی ہے وہاں
پر کیا کوئی تبدیلی آئی ہے۔
(ابھیچھا اوجھیں شری محمد
سلیم بیٹہ آ رہے ہیں)

میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ جب تک ہندوستان کے محول اس کے
عادت کے فلاں ہمارے میں نے فلاں
ہیں ہو گئے۔ جس ملک میں جس سماج
میں بیکل اس میں نہیں کی جائے ہیں
وہاں یہ یہ قانون بیکل بنا دیا جائے
لیکن بیکل میں نہیں کی جائے کہ بغیر
اس بڑی عادت کو جو سماج کو کھانے
میں لکھا جا رہی ہے۔ کوئی نہیں
سکے۔ ان لفظوں کے ساتھ میں
جہاں فائنٹاب کی بوری حمایت کرتا ہوں
وہاں یا وہی کے سب ماحقق سے اس
بات کی توقع کرتا ہوں کہ ہم یہ ملک
میں اس بیکل اس میں نہیں تھا کہ میں۔ جو
جو آدمی کو میں میں اندلڑ کرنا ہے۔

جو لوگ انڈیا کے لیے - اس کے لیے - وہ
سماج میں بڑے آدمی ہو سکتے تھے - مگر
کو سکتے تھے لیکن سماج میں ان کے کوئی اثر
حاصل نہیں تھا -

आज लोग जो कर्षण वाले है, जो कर्षण करते है, समलिंग करते है और इस किस्म की बुरी बातें, जिनको समाज बुरी समझता है, करते है, आज एक ऐसा समाज आ गया है कि जिस तरीके से पहले उनसे नफरत थी, वे छिपकर रहते थे, वह बात आज नहीं रह गयी है। आज हमारे समाज में उनको इज्जत मिलती है और यह एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, खतरे की निशानी है चूंकि जो एक डिवाइडिंग लाइन थी गुड और बैड की वह मिटती जा रही है। इसलिए जहां इस बिल को मैं हिमायत करता हूं सब सदन के साथियों से इस बात की दरखास्त करना चाहता हूं।

+ شری وسیر ندر لٹاریہ "جاری"
آج لوگ جو کوشش کر رہے ہیں - اس کے لیے - وہ
کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں - وہ
ہیں اور اس قسم کی یہی باتیں -
جنہو سماج میں سمجھا جاتا ہے - کہ
ہیں آج ایک ایسا سماج ہے کہ
کہ جو ملک میں ایسا ہے کہ
تھی - وہ جب تک رہے - وہ
باق آج یہی دیکھی ہے - آج
ہمارے سماج میں ان کے عزت ملی
ہے اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے
مفہم ہے کہ ان کے لیے جو
جو ایک کو دیکھ کر ان کے لیے

لڑ اور بڑی وہ مٹی جا رہی
ہے - اس کے لیے سماج اس بل کی
تعمیل کرنا نہیں - سب سدن
کے سامنے اس کے لیے
بات کی درخواست کرنا چاہیے

irrespective of any party affiliation, let us work and create a situation in this country

جہاں کورپشن کرنے والے لوگوں کے لیے کورپشن کرنا
مشکل ہو جائے گا۔ ان لفظوں کے ساتھ آپ نے
بولنے کا मौکا دیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا
ہوں۔

+ جہاں کوشش کر رہے ہیں
لوگوں کے لیے کوشش کرنا مشکل ہو
جائے گا۔ ان لفظوں کے ساتھ آپ نے
مجھے بولنے کا موقع دیا - میں آپ کا شکریہ
ادا کرتا ہوں۔

SMT. MARGARET ALVA: Sir, over these tension-filled moments, particularly at the end, I am not going into all the details of all that the Members have raised. I have been sitting here—on the last occasion and now—and listening to the points which have been raised. As the House is aware, attempts have been made at various times to bring in a Lokpal Bill. We have also had Lok Ayuktas in the States. I do not think we should look at this issue, either of corruption or of a Lokpal, as party issue or a sectarian issue. In the question of a clean public life, national or local, I, as the Minister of Personnel, include also the question of corruption in the

administration even at—what is now coming back, as has been mentioned—the third level of administration, that is the level of panchayats and local bodies. We have had to deal with various problems of the money going down or not being utilised. Therefore, I think, for us to be sitting in Parliament, all the time throwing stones at each other, as if we are the only ones, sitting as Members of Parliament or sitting in positions of authority, bring corrupt, is self-defeating. Ultimately, the faith of the people in institutions should not be eroded. We represent not ourselves or particular constituencies. We represent the will of the people of India. Sitting here, if we call each other corrupt—*ham bolte hein ki apne kiya, aap bolte hein ki hamne kiya*—, ultimately, we will only be throwing stones at each other, destroying the faith of the common people in democratic institutions and processes. Therefore, I would appeal that we should not look upon those who are sitting on the treasury benches as being corrupt. You had been on treasury benches sometimes. In the states, today, you are on the treasury benches. To say that it is only the Opposition people, who sit in opposition, are the saints or the holy ones, is, in itself, self-defeating. We are as concerned as anybody else in the country about the question of maintaining the sacrosanct nature of the institutions which we have created. Some people have said that even the judiciary has its problem; others have said other things. After all, the judiciary, with all its faults and all its limitations—maybe some people somewhere are there who have misused that holy office, which they held, of administering justice to those in need—it is an institution which we have to depend on even though it is a human institution for justice. Therefore, I would appeal to you not to look upon it as something which is either sectarian or partisan. Efforts have been made by

Congress and non-Congress Governments before to have a Lokpal Bill passed.

With all that is being talked here about the Lok Ayuktas, even the Opposition parties who are running Governments in the States, some of them, do not have the Lok Ayuktas which is provided for in the Administrative Reforms Report which we are quoting all the time. Only 11 States have it today. Orissa was the first to set up the Lok Ayukta and they were the first to abolish it. Now, again, the new Government has come there. They have passed a legislation which has been sent to the President for approval for re-appointing i.e. reviving the institution of Lok Ayukta in Orissa. Therefore, there are different perceptions. It is not that a particular Chief Minister was corrupt and he did not want it. He had problems, probably, of running it and making it really deliver the goods and therefore, he thought that it was a sham and there was no point in having it. There are situations in which the Lokpal has to function. I would say to the hon. Members that the Lokpal institution should be not only not sectarian, but should also be above controversy. Now, in this Bill, the hon. Member has proposed that in order to make it acceptable to everybody, he should be elected by two-third majority of the Members of Parliament and he should be removed by two-third majority of the Members of Parliament and so on. By doing so, you are trying to make him really the centre of total political manipulation because it all becomes political. All of you know how the concept of two-third majority works. We are all political beings and bringing it into this kind of an electoral pattern will mean that everyone of them has to seek or get the support and votes of different political parties. We would bring the Lokpal also into the question of political support आप देखते हैं कि जब यहां क्रिमिनल ला अमेडमेंट बिल पास करना है या पेटेंट बिल पास करना है तो कितने नेगोसिएसंस चलते हैं, फिर भी टू थर्ड

मेजोरिटी कितनी मुश्किल होती है।

Now, if you are going to bring the appointment of a Lokpal itself into two-third majority business, I know that you will never be able to find a suitable Lokpal for all of us.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Various options have been given.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, I do not think, therefore, that there is one kind of a formula which can be produced today and it can be said: "This is the ideal formula. You pass it. You do it and it will work." I had said this in my reply to a debate which was held when I replied on 2nd August, 1994. Sir, it has been said that we held a debate when nobody was in the House. I want to say that for that debate on the Lokpal the Business Advisory Committee had given time and date and we all had agreed. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): The time allotted for the Private Members' Business has been exhausted.

SMT. MARGARET ALVA: Let me finish. I have no problem. I am just concluding with one sentence. What I am saying is that, in keeping with the commitment we had made, I have addressed letters to the leaders of all the political parties and the whips in Parliament, enclosing all the former draft Bills and the reports of the Joint Select Committees, and requested them to send us their comments and their reactions and after I receive their replies, we would have a meeting of all the leaders together, to work out a consensus because the Prime Minister himself in this House has offered that he is prepared to submit himself to the jurisdiction of the Lokpal. This was the announcement which he made himself. He has committed himself. So, what I am saying is that we are also interested and we want a consensus. We have written to all the parties to send us their

suggestions in writing so that after there is a follow-up, we can have a meeting of the political parties and work out a consensus which can come to Parliament. Thank you.

श्री सिकन्दर बाख्त : सदर साहब, मैं यह अर्ज करूंगा कि यह जो वन-बी तक है, बाकी के हिस्से को खान साहब से विदड़ा करने की दरखास्त करें और गवर्नमेंट वन-बी तक इस रेजोल्यूशन को तसलीम करें, माने।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आपको पालूम होना चाहिए इस हाउस का सैस लेते हैं।... *(व्यवधान)*

श्री सिकन्दर बाख्त : इसमें आब्जेक्शन करने की कोई चीज़ नहीं है।... *(व्यवधान)*

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): नहीं, आब्जेक्शन की बात नहीं है।... *(व्यवधान)*... प्राइवेट मैम्बर्स का जो यह मामला था ...*(व्यवधान)*...

That matter stands closed. Now, we have Special Mentions. The time allotted for the Private Member's Business has been exhausted. Shri Virendra Kataria. *(Interruptions)*

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: You have to take the sense of the House. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Mohd. Salim): You see, the time fixed for the Private Members' Business has already been exhausted. Shri Virendra Kataria.

RE. DEATHS DUE TO BLAST IN A CRACKER FACTORY AT ROHTAK.

श्री वीरेन्द्र कटारिया (पंजाब): वाइस चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस सब्जेक्ट पर बोलने का मौका दिया। कल के अखबारों में यह छपा है कि रोहतक में एक आतिशबाज़ी की फैक्टरी में आग लगने से 23 लोग मारे गए हैं, जिनमें 13 औरतें और 6 बच्चे भी शामिल हैं। यह बड़ा दर्दनाक और अफसोसनाक वाक्या है। दर्दनाक इसलिए है कि इतने लोग जिनमें औरतें और बच्चे शामिल हैं, लापरवाही से मारे गए हैं और अफसोसनाक इसलिए कि आज हमारे